अगोपनीय

<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 06/67/2025-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा भवन, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 26 अक्टूबर, 2026

मामला सं. सीवीडी (ओआई)-07/2025
सेतु आवेदन सं.: CVD/OI/15122025/01

<u>अधिसूचना</u>

<u>प्रारंभिक जांच परिणाम</u>

विषय: चीन जन. गण. के मूल में अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच।

<u>क. मामले की पृष्ठभूमि</u>

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" अथवा "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) अपने प्रारंभिक जांच परिणाम निम्नानुसार दर्ज करते हैं।

1. केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" कहा गया है) ने टीपीएम कंसल्टेंट्स के माध्यम से प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर कर चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल में अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत का अनुरोध किया।

2. जांच की शुरुआत से पूर्व, भारत सरकार ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (जिसे आगे "एससीएम करार" कहा गया है) के अनुच्छेद 13.1 के अनुसार चीन जन. गण. की सरकार (जिसे आगे "जीओसी" कहा गया है) को परामर्श हेतु आमंत्रित किया। जीओसी को आमंत्रण 09.01.2026 को प्राप्त हुआ; परामर्श 20.01.2026 को आयोजित किए गए और जीओसी ने आवेदन पर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श में जीओसी ने कुछ कार्यक्रमों के अस्तित्व, कुछ आरोपित कार्यक्रमों के लाभ उठाए जाने तथा कुछ कार्यक्रमों के अंतर्गत नगण्य से अधिक सब्सिडी के अस्तित्व से इनकार किया; तथापि, कार्यक्रमों के अस्तित्व से इनकार करने वाला कोई प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दिनांक 26.02.2026 की अधिसूचना सं. 06/67/2025-डीजीटीआर के माध्यम से जांच शुरू की। जांच शुरुआत अधिसूचना में अनजाने में मामला संख्या "CVD 02/2025" तथा सेतु केस आईडी "CVD/OI/1522025/01" उल्लिखित हो गई थी; सही मामला संख्या सीवीडी (ओआई)-07/2025 है तथा सही सेतु आवेदन सं. CVD/OI/15122025/01 है, जिसका उल्लेख हितबद्ध पक्षकार आगे के सभी पत्राचार और अनुरोधों में करेंगे।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क) प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार दिनांक 27.02.2026 के ई-मेल द्वारा भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को जांच की शुरुआत की सूचना दी तथा आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अग्रेषित की।

ख) प्राधिकारी ने दिनांक 27.02.2026 के ई-मेलों द्वारा जांच शुरुआत अधिसूचना तथा आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, संबंधित मंत्रालय तथा घरेलू उद्योग को अग्रेषित की। प्राधिकारी ने जांच शुरुआत से पूर्व दिनांक 05.02.2026 के ई-मेलों द्वारा अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, को भी लिखा था; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

ग) प्राधिकारी ने जांच से संबंधित सूचना मांगते हुए ज्ञात पक्षकारों तथा जीओसी को निर्यातक प्रश्नावली, आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली तथा सरकारी प्रश्नावली भेजी। भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वह उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे। चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार उपचार एवं अन्वेषण ब्यूरो ने वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है।

घ) प्रश्नावली के उत्तर दायर करने की समय-सीमा दिनांक 17.04.2026 (29.04.2026 तक) तथा 30.04.2026 (05.05.2026 तक) की सूचनाओं द्वारा बढ़ाई गई।

ङ) जीओसी तथा खंड छ.1 में सूचीबद्ध उत्पादकों, निर्यातकों और व्यापारियों ने बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

च) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर किए: संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड तथा वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।

छ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों तथा संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। घरेलू उद्योग तथा ट्राइकॉन ड्राई केमिकल्स एलएलसी द्वारा उत्तर दायर किए गए।

ज) हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया गया और इस संबंध में 27.03.2026 को एक बैठक आयोजित की गई। प्रस्तुत अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 02.04.2026 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप दिया तथा पीसीएन न अपनाने का निर्णय लिया।

झ) घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के दावों पर टिप्पणियां दायर कीं, जिनके उत्तर शांक्सी बेइयुआन, शंघाई क्लोर-अल्कली, ग्वांगशी हुआयी, सीएनएसआईजी जिलानताई तथा झोंगताई समूह द्वारा दायर किए गए।

ञ) प्राधिकारी ने 18.08.2026 / 19.08.2026 को हितबद्ध पक्षकारों की सूची परिचालित की। वानहुआ समूह के अधिवक्ता तथा तियानचेन केमिकल कं., लि. (सूची में "तियानकेम" के रूप में दर्ज) से सुधार के अनुरोध प्राप्त हुए।

ट) दिनांक 25.09.2026 की सूचना द्वारा, उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण हेतु तीन उत्पादकों/निर्यातकों (उनके संबंधित पक्षकारों सहित) का नमूना चुना। चिपिंग शिनफा समूह, संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा घरेलू उद्योग से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। हितबद्ध

पक्षकारों की टिप्पणियों, जिनमें चयनित नमूने की प्रतिनिधिकता संबंधी टिप्पणियां भी शामिल हैं, जांचाधीन सब्सिडी कार्यक्रमों की संख्या तथा उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपनाए गए उत्पादन मार्गों पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी ने दिनांक 05.10.2026 की सूचना द्वारा नमूना चयन वापस ले लिया और निम्नलिखित तेरह उत्पादकों/निर्यातकों, उनके संबंधित पक्षकारों सहित, के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने का निर्णय लिया: (1) चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.; (2) तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.; (3) जुनझेंग समूह (इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि. तथा ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.); (4) चिपिंग शिनफा समूह (चिपिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि. तथा चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.); (5) वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि. तथा वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.); (6) इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि.; (7) शिनजियांग शेंगशियोंग क्लोर-अल्कली कं., लि.; (8) सीएनएसआईजी जिलानताई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; (9) ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि. तथा शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; (10) शांक्सी बेइयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं., लि.; (11) तियानचेन केमिकल कं., लि. (तियानये); (12) इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; तथा (13) यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.। उत्पादकों/निर्यातकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई कि उनके उत्तर, जिनमें संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल सभी संबंधित पक्षकारों के उत्तर भी शामिल हैं, सभी प्रकार से पूर्ण हों। इनमें से कुछ उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर बाद में खंड छ.2 में दिए गए कारणों से अस्वीकार किए गए हैं।

ठ) प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन प्रश्नावलियों के माध्यम से अतिरिक्त सूचना मांगी; अन्य के साथ-साथ एर्डोस, वानहुआ, ग्वांगशी हुआयी/शंघाई क्लोर-अल्कली, शांक्सी बेइयुआन तथा तियानचेन समूहों से उत्तर प्राप्त हुए, तथा चिंगदाओ हाईवान, तियानजिन बोहुआ, चिपिंग शिनफा, यिबिन हाइफेंग हेरुई तथा तियानचेन से संशोधित सब्सिडी गणनाएं प्राप्त हुईं। घरेलू उद्योग तथा उत्तर देने वाले उत्पादकों की सूचना का, आवश्यक समझी गई सीमा तक, अंतिम जांच परिणामों से पूर्व सत्यापन किया जाएगा।

ड) घरेलू उद्योग ने मूल्य श्रृंखला, नमूना चयन, पूर्व निर्णयों, बेंचमार्क तथा सब्सिडी गणनाओं पर अतिरिक्त अनुरोध दायर किए।

ढ) क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है।

ण) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर सेतु प्लेटफॉर्म पर दायर करने का निर्देश दिया गया तथा प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को उन तक पहुंच प्रदान की गई।

त) जांच की अवधि (पीओआई) 01.10.2024 से 30.09.2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा पीओआई शामिल हैं। गैर-आवर्ती सब्सिडी की जांच के लिए, पीओआई से पूर्व परिसंपत्तियों के औसत उपयोगी जीवनकाल के अनुरूप अवधि की सूचना भी मांगी गई है।

थ) अपनाई गई विनिमय दरें हैं: (i) प्रति अमरीकी डॉलर 86.76 रुपये, जो पीओआई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आयातों हेतु अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है (https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate पर उपलब्ध); तथा (ii) प्रति थाई बाट 0.2165 आरएमबी, जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक की यूरो विदेशी मुद्रा संदर्भ दरों से व्युत्पन्न मासिक क्रॉस-दरों (सीएनवाई प्रति यूरो ÷ टीएचबी प्रति यूरो;

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html पर उपलब्ध) का पीओआई के लिए औसत है, क्योंकि थाई बाट सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित मुद्राओं में शामिल नहीं है। इस दर का उपयोग थाईलैंड बेंचमार्कों को आरएमबी में परिवर्तित करने के लिए किया गया है।

द) इन प्रारंभिक जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जांच शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलिमर (सस्पेंशन ग्रेड) है, जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के रूप में भी जाना जाता है, जो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित होता है तथा जिसका के-वैल्यू 55 से अधिक और 77 तक है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 55 से कम और 77 से अधिक के-वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन जैसे क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी, क्लोरीनेटेड पीवीसी (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड – विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेज़िन / इमल्शन रेज़िन, मास पॉलिमराइज़ेशन पीवीसी तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेज़िन भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

विचाराधीन उत्पाद सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित किया जाता है। इमल्शन पॉलिमराइज़ेशन, बल्क मास पॉलिमराइज़ेशन तथा माइक्रो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित पीवीसी भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 39 के अंतर्गत सीमा शुल्क वर्गीकरण 3904 10 20 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात एचएस कोड 3904 10 10, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 90 10 तथा 3904 90 90 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ 4-अंकीय स्तर पर एचएस कोड, अर्थात 3904, पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलिमर (सस्पेंशन ग्रेड) है, जो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित होता है तथा जिसका के-वैल्यू 55 से अधिक और 77 तक है, उन अपवर्जनों के साथ जिन्हें प्राधिकारी ने 02.04.2026 को अंतिम रूप दिया। यह शुल्क तालिका के अनुसार शीर्ष 3904 (मुख्यतः टैरिफ मद 3904 10 20) के अंतर्गत वर्गीकृत है; वर्गीकरण केवल सांकेतिक है। कोई पीसीएन नहीं है।

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. आवेदकों ने अनुरोध किया कि एथिलीन और कैल्शियम-कार्बाइड मार्गों से उत्पादित रेज़िन तुलनीय और परस्पर विनिमेय है। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि इमल्शन, बल्क मास तथा माइक्रो-सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन से उत्पादित पीवीसी रेज़िन, तथा क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी, सीपीवीसी, वीसी-वीएसी, पीवीसी पेस्ट रेज़िन, मास पॉलिमराइज़ेशन पीवीसी और पीवीसी ब्लेंडिंग रेज़िन अपवर्जित हैं; कि उत्पाद की एक विशिष्ट टैरिफ मद 3904 10 20 है, यद्यपि पीओआई में लगभग 17% आयात अन्य

उप-शीर्षों के अंतर्गत किए गए; कि 55 के-वैल्यू वाले रेज़िन को अपवर्जित माना जा सकता है; कि पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच में अपनाई गई परिभाषा अपनाई जा सकती है; कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं; तथा कि पीसीएन-वार विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. चिंगदाओ हाईवान ने जांच शुरुआत अधिसूचना में ठीक 55 के-वैल्यू वाले रेज़िन के संबंध में असंगति की ओर ध्यान दिलाया। संदीप ऑर्गेनिक्स ने अनुरोध किया कि उत्पादन मार्ग एक प्रौद्योगिकीय विशेषता है और अपने आप में सब्सिडी स्थापित नहीं कर सकता।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

9. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के उपरांत, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 02.04.2026 को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया:

> *"विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलिमर (सस्पेंशन ग्रेड), जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के रूप में भी जाना जाता है, जो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित होता है तथा जिसका के-वैल्यू 55 से अधिक और 77 तक है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: (i) अल्ट्रा-लो के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन (के-वैल्यू 55 तक); (ii) अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन (के-वैल्यू 77 से अधिक); (iii) क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी; (iv) क्लोरीनेटेड पीवीसी (सीपीवीसी); (v) विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर (वीसी-वीएसी); (vi) पीवीसी पेस्ट रेज़िन/इमल्शन रेज़िन; (vii) मास पॉलिमराइज़ेशन पीवीसी; (viii) पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेज़िन। इसके अतिरिक्त, इमल्शन पॉलिमराइज़ेशन द्वारा विनिर्मित पीवीसी रेज़िन, बल्क मास पॉलिमराइज़ेशन द्वारा विनिर्मित पीवीसी रेज़िन तथा माइक्रो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित पीवीसी रेज़िन भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।"*

10. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए, सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) को विनाइल पॉलिमर में परिवर्तित किया जाता है। वीसीएम का उत्पादन या तो एथिलीन डाइक्लोराइड (ईडीसी) से अथवा कैल्शियम कार्बाइड से किया जाता है। एथिलीन मार्ग तथा कार्बाइड मार्ग, दोनों से उत्पादित पीवीसी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है।

11. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन बनाने का अनुरोध नहीं किया है, तथा घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीसीएन-वार विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान जांच में पीसीएन निर्धारित नहीं किए गए हैं।

12. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएं/प्रौद्योगिकियां प्रयुक्त होती हैं, तथापि अंतिम उत्पाद के विनिर्देश तुलनीय हैं और इनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया जाता है; दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

13. दायरे में 55 से अधिक और 77 तक के-वैल्यू वाला रेज़िन शामिल है। उत्पादन मार्ग उन आदानों और कार्यक्रमों के लिए प्रासंगिक है जिनसे लाभ प्राप्त हो सकता है, न कि दायरे के लिए। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं नियमावली के अर्थ में विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

14. जीओसी ने अनुरोध किया कि आवेदकों का भारतीय उत्पादन में 30-40% हिस्सा है और वे नियमावली तथा एससीएम करार के अनुच्छेद 11.4 की "प्रमुख अनुपात" संबंधी अपेक्षा को पूरा नहीं करते। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी यह जांच कर सकते हैं कि क्या डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने घरेलू बाजार में विनिर्माताओं, व्यापारियों अथवा आयातकों से संबद्ध वस्तुएं खरीदीं और, यदि उसने आयातित वस्तुएं प्राप्त कीं, तो उसे घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए अपात्र माना जाए; तथा कि भारत के सबसे बड़े उत्पादक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अधिक गंभीर क्षति दर्शाने के लिए जानबूझकर अपवर्जित किया गया है, जबकि उसके आयात उसके उत्पादन का केवल 1-10% हैं और उसे आयातक माने जाने को उचित नहीं ठहराते।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. आवेदकों ने अनुरोध किया कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नियमित आयातक हैं तथा घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए अपात्र हैं; डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के गैर-संबद्ध देश से आयात नगण्य हैं। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि अन्य उत्पादकों ने आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध; कि दो नए उत्पादक, मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्षमताएं स्थापित कर रहे हैं; कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने उत्पादन के लगभग 90% का कैप्टिव उपभोग करती है; कि केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ने पीओआई में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया तथा आवेदक भारत के किसी आयातक अथवा संबद्ध देश के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं; कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार में भी संबद्ध वस्तुएं खरीदीं; तथा कि यदि अन्य उत्पादकों को अपवर्जित किया जाए तो आवेदकों का घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा है, और किसी भी स्थिति में उसका प्रमुख अनुपात है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के चरण में आवेदकों के आधार की जांच की थी और पाया था कि आवेदन नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इस चरण पर ऐसी कोई सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है जो उस निर्धारण को परिवर्तित करे।

17. नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" से अभिप्राय समान वस्तु के विनिर्माण में लगे समग्र घरेलू उत्पादकों से है अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित सब्सिडीकृत वस्तु अथवा अन्य देशों से समान वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में "घरेलू उद्योग" शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

18. आवेदकों के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड; मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण हेतु संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया। प्राधिकारी ने दिनांक 05.02.2026 के ई-मेलों द्वारा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और/अथवा आयातक के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करने, निर्धारित सूचना प्रस्तुत करने तथा यह बताने का अनुरोध किया कि वे आवेदन का समर्थन करते हैं अथवा विरोध। उनमें से किसी से भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ

है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह प्रकट होता है कि दोनों उत्पादकों ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उल्लेखनीय मात्रा में आयात किया, जो उनके स्वयं के उत्पादन की तुलना में नगण्य नहीं है। अतः प्राधिकारी ने आधार के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इन्हें अनंतिम रूप से अपात्र माना है।

19. केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है तथा वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक अथवा भारत के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

20. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं की अल्प मात्रा का आयात किया, और वह भी केवल एक गैर-संबद्ध देश (ताइवान) से। ये आयात उसके उत्पादन और बिक्री तथा भारत में कुल आयातों की तुलना में नगण्य हैं। उसने क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार से भी संबद्ध वस्तुएं प्राप्त कीं। चूंकि उसके आयात नगण्य हैं, अतः डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए अनंतिम रूप से पात्र माना गया है।

21. इस तर्क के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा घरेलू खरीद अप्रत्यक्ष आयात हो सकती है, नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत अपवर्जन तब लागू होता है जब कोई घरेलू उत्पादक स्वयं आरोपित सब्सिडीकृत वस्तु का आयातक हो। पीओआई के दौरान डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के आयात एक गैर-संबद्ध देश से थे तथा उसके उत्पादन का नगण्य हिस्सा (0-5%) हैं; घरेलू बाजार में की गई खरीद उसे संबद्ध वस्तुओं का आयातक नहीं बनाती।

22. तदनुसार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संबद्ध वस्तुओं के आयातक होने के कारण, नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग से अपवर्जित हैं, तथा तीनों आवेदक, जिनका समान वस्तु के पात्र घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा है, घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। आधार के संबंध में, नियमावली के नियम 6(3) में यह अपेक्षित है कि आवेदन को ऐसे घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त हो जिनका सामूहिक उत्पादन, घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक हो जिसने आवेदन का समर्थन अथवा विरोध व्यक्त किया है, तथा आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का समान वस्तु के कुल उत्पादन में हिस्सा 25% से कम न हो। आधार की जांच कुल भारतीय उत्पादन, अर्थात फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पादन को शामिल करते हुए, अधिक सतर्क आधार पर की गई है।

23. यह देखा गया है कि (क) आवेदक, जो आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं, कुल भारतीय उत्पादन का 30-40% हिस्सा रखते हैं, जो 25% की न्यूनतम सीमा से अधिक है; तथा (ख) फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध, अतः समर्थन अथवा विरोध व्यक्त करने वाले घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 100% है, जो अपेक्षित 50% से अधिक है। अतः आवेदन कुल भारतीय उत्पादन के आधार पर भी आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इस तर्क के संबंध में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जानबूझकर अपवर्जित किया गया है तथा आवेदकों का भारतीय उत्पादन में केवल 30-40% हिस्सा है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग से इसलिए अपवर्जित किया गया है क्योंकि वे स्वयं संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं, न कि उनके आकार अथवा जांच में उनके भाग न लेने के कारण। उनका भाग न लेना केवल इस सीमा तक प्रासंगिक है कि उन्होंने आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध, तथा उन्होंने अपने आयातों संबंधी सूचना पर कोई आपत्ति नहीं की है। पीओआई के दौरान एर्डोस द्वारा आवेदकों में से एक को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री को नोट किया गया है; उस आवेदक की पात्रता पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी। प्राधिकारी अनंतिम

रूप से यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं तथा आवेदन नियमावली के नियम 6(3) की आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ङ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग ने उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उत्पादक की पहचान, कच्ची सामग्री, स्वामित्व तथा संबंधित पक्षकारों के संबंध में दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता पर आपत्ति की। जिन दावों पर आपत्ति की गई उनमें उत्पादक इकाई का नाम, स्वामित्व संरचना और संबंधित पक्षकार, उत्पादन सुविधाओं/शाखा कंपनियों का स्थान, उत्पादन प्रक्रिया, प्रमुख कच्ची सामग्री, एचएस कोड, उत्पाद विनिर्देश और कैटलॉग, परिसंपत्तियों का औसत उपयोगी जीवनकाल, प्राप्त अन्य सब्सिडी की सूची तथा अनुदानों से संबंधित सरकारी विनियम और अभिलेख, वितरण चैनल तथा सामान्य लेखा अवधि शामिल हैं। उसने अनुरोध किया कि उचित अगोपनीय रूपांतर के बिना प्रस्तुत उत्तरों को रिकॉर्ड पर न लिया जाए।

ङ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया कि अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराए गए थे।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. नियमावली का नियम 8 निम्नानुसार उपबंध करता है:

> *"(1) नियम 7 के उप-नियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 के उप-नियम (2), नियम 17 के उप-नियम (4) तथा नियम 19 के उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां अथवा जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, उसकी गोपनीयता के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी तथा ऐसी कोई सूचना, उसे प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना, किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।*
>
> *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश ऐसे पर्याप्त ब्यौरे में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं जिससे गोपनीय सूचना के सार की उचित समझ हो सके, और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।*
>
> *(3) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने हेतु प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"*

27. प्राधिकारी ने गोपनीयता के उन दावों को स्वीकार किया है जहां उचित कारण दर्शाया गया तथा पर्याप्त अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए गए। स्वामित्व तथा उन संबंधित पक्षकारों की सूचना, जिनके माध्यम से वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उत्पादक समूहों तथा मूल्य श्रृंखला के निर्धारण के लिए आवश्यक है, और उस सीमा तक उस पर निर्भर किया गया है। एर्डोस द्वारा दायर एक प्रदर्श में किसी अन्य उत्तर देने वाले उत्पादक (इनर मंगोलिया यिहुआ) की गोपनीय शीट शामिल हैं; इनका उपयोग नहीं किया गया है।

28. अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों के संबंध में, उत्तर देने वाले पक्षकारों को अपने उत्तरों के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दायर करने का निर्देश दिया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांगी गई सूचना के प्रकट न किए जाने से उसे कोई हानि नहीं हुई है; निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना इन जांच परिणामों में प्रतिबिंबित है।

च. विविध अनुरोध

च.1. चीन जन. गण. की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध

क) आवेदन में कार्यक्रमों और साक्ष्यों के बीच एक-से-एक संगति का अभाव है; कुछ लिखत समाप्त हो चुके हैं (उदाहरणार्थ Caishui [2015] No. 37)।

ख) अन्य प्राधिकारियों के निर्धारण वर्तमान मामले में कार्यक्रमों को स्थापित नहीं कर सकते।

ग) उसी उत्पाद पर दिनांक 14.08.2025 के पाटनरोधी अंतिम जांच परिणामों को प्रभावी नहीं किया गया; 02.04.2026 से 30.06.2026 तक मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

च.2. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आयातक) द्वारा किए गए अनुरोध

क) प्रतिसंतुलनकारी शुल्क केवल ऐसी सब्सिडी पर लगाया जा सकता है जो स्थापित और परिमाणित हो (वित्तीय अंशदान, लाभ, विनिर्दिष्टता); कम कीमतें, कम लागत, सरकारी नीति, राज्य का स्वामित्व अथवा उत्पादन प्रौद्योगिकी अपने आप में सब्सिडी स्थापित नहीं करते।

ख) वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु लाभ का निर्धारण प्रचलित बाजार स्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त पारिश्रमिक की तुलना में किया जाना चाहिए; विनिर्दिष्टता को पृथक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

ग) नमूना चयन सब्सिडी का निष्कर्ष नहीं है; क्षति सब्सिडी के प्रभावों के माध्यम से सब्सिडीकृत आयातों द्वारा होनी चाहिए तथा अन्य ज्ञात कारकों का आरोपण नहीं किया जाना चाहिए (एससीएम करार का अनुच्छेद 15); शुल्क स्थापित सब्सिडी से अधिक नहीं हो सकता; आवश्यक तथ्यों का प्रकटन अपेक्षित है।

घ) आयातक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, (2006) 10 SCC 368; रियलस्ट्रिप्स लि. बनाम भारत संघ (गुजरात उच्च न्यायालय, SCA No. 4495/2022, 02.09.2022); तथा वेदांता लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (सेस्टेट अंतिम आदेश सं. 50079/2023, 18.01.2023) पर निर्भरता व्यक्त की है।

च.3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क) घरेलू उद्योग को अतीत में पाटनरोधी शुल्क द्वारा संरक्षण प्राप्त रहा है और वह आयातों से निरंतर संरक्षण चाह रहा है।

ख) वित्त मंत्रालय ने दिनांक 14.08.2025 के अंतिम जांच परिणामों द्वारा की गई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया; 15.05.2023 को अनुशंसित रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) अधिरोपित नहीं किया गया; तथा पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को 12.11.2025 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान जांच घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर पुनः मुकदमेबाजी का प्रयास है।

च.4. प्राधिकारी द्वारा जांच

29. जांच शुरुआत के समय साक्ष्यों की पर्याप्तता वर्तमान निर्धारण से भिन्न है, जो प्रस्तुत सूचना के आधार पर कार्यक्रम-वार और समूह-वार किया गया है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण न किया जाना तथा अन्य व्यापार-नीति उपाय निर्णायक नहीं हैं। चूंकि संबद्ध वस्तुओं पर कोई पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त

नहीं है, अतः पाई गई निर्यात-आकस्मिक सब्सिडी (निर्यात विक्रेता ऋण - जुनझेंग समूह; निर्यात अनुदान - तियानजिन बोहुआ) के लिए अधिनियम की धारा 9ख के अंतर्गत दोहरे उपचार हेतु समायोजन का प्रश्न फिलहाल उत्पन्न नहीं होता।

30. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच पाटनरोधी जांच में जांची गई क्षति पर पुनः मुकदमेबाजी का प्रयास है, पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच अधिनियम की क्रमशः धारा 9क और 9 के अंतर्गत पृथक कार्यवाहियां हैं, जो भिन्न अनुचित व्यापार प्रथाओं, अर्थात पाटन और सब्सिडीकरण, से संबंधित हैं। अधिनियम और नियमावली किसी उत्पाद पर केवल इस कारण प्रति-सब्सिडी जांच को वर्जित नहीं करते कि वह उत्पाद पूर्व में पाटनरोधी जांच के अधीन था, अथवा ऐसी जांच में की गई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। वर्तमान मामले में पीओआई (अक्टूबर 2024 - सितंबर 2025) पाटनरोधी जांच की अवधि (अक्टूबर 2022 - सितंबर 2023) से भिन्न है। प्राधिकारी ने सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्टया साक्ष्य से संतुष्ट होने पर वर्तमान जांच शुरू की है तथा उनसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गुण-दोष पर मामले का निर्धारण अपेक्षित है। मात्रात्मक प्रतिबंधों का अधिरोपण न किया जाना तथा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का निरसन प्रतिसंतुलनीय सब्सिडी के अस्तित्व अथवा सब्सिडीकृत आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर कोई प्रभाव नहीं डालते।

छ. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

छ.1. उत्तर देने वाले पक्षकार, उत्पादक समूह और उत्तरों की स्थिति

31. निम्नलिखित उत्पादक समूहों ने उत्तर दायर किए। संबंधित इकाइयों को किसी समूह का भाग केवल तभी माना गया है जहां संबंधित-पक्षकार प्रकटन उस संबंध की पुष्टि करते हैं।

क्र. सं.	उत्पादक समूह	उत्तर देने वाली इकाइयां	स्थिति (प्रारंभिक)
1	चिंगदाओ हाईवान	चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.	स्वीकृत। असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से भी निर्यात; ऐसे व्यापारियों की पुनर्विक्रय सूचियां उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गईं।
2	तियानजिन बोहुआ	तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.	स्वीकृत। ट्राइकॉन, स्टेवियन, मारुबेनी (उत्तर दायर) तथा अन्य व्यापारियों के माध्यम से भी निर्यात।
3	जुनझेंग समूह	इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	स्वीकृत।
4	चिपिंग शिनफा समूह	चिपिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि.; चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.	स्वीकृत।
5	वानहुआ समूह	वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि.; वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.; वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लि. (संबंधित निर्यातक); वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लि. (संबंधित आयातक)	स्वीकृत। वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लि. (मूल कंपनी, यानताई को बिजली आपूर्तिकर्ता भी) ने उत्तर दायर नहीं किया।
6	एडोस	इनर मंगोलिया एडोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि. (क्लोर-अल्कली केमिकल ब्रांच कंपनी)	स्वीकृत।
7	झोंगताई समूह	शिनजियांग शेंगशियोंग क्लोर-अल्कली कं., लि.; शिनजियांग झोंगताई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं., लि.; झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एचके) लि.	अस्वीकृत - उपलब्ध तथ्य (खंड छ.2 देखें)।
8	सीएनएसआइजी जिलानताई	सीएनएसआइजी जिलानताई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; चाइना सॉल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं., लि.	अस्वीकृत - मूल्य श्रृंखला अपूर्ण (खंड छ.2 देखें)।
9	क्लोर-अल्कली केमिकल समूह	ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.	स्वीकृत। असूचीबद्ध अनुदान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जोड़े गए (छ.5)।

क्र. सं.	उत्पादक समूह	उत्तर देने वाली इकाइयां	स्थिति (प्रारंभिक)
10	शांक्सी बेइयुआन	शांक्सी बेइयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं., लि.	अस्वीकृत - प्रमुख आदानों की खपत का खरीद से मिलान नहीं (खंड छ.2 देखें)।
11	तियानचेन समूह	तियानचेन केमिकल कं., लि.; शिनजियांग तियानयू शिनके न्यू मैटेरियल्स कं., लि.; शिनजियांग तियानये फॉरेन ट्रेड कं., लि.	स्वीकृत। भारत को सभी वस्तुओं का पुनर्विक्रय चोंगकिंग चुआनडोंग केमिकल (ग्रुप) कं., लि. (असंबंधित व्यापारी) द्वारा किया गया।
12	यिहुआ	इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	स्वीकृत।
13	यिबिन तियानयुआन समूह	यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.; यिबिन तियानयुआन ग्रुप कं., लि.; यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स इंडस्ट्री ग्रुप लि.	स्वीकृत।

32. असंबंधित व्यापारी: ट्राइकॉन ड्राई केमिकल्स एलएलसी (अमरीका), स्टेवियन केमिकल जेएससी (वियतनाम) तथा मारुबेनी इनोवेक्सिस कॉर्पोरेशन (जापान) ने उत्तर दायर किए; चोंगकिंग चुआनडोंग केमिकल (ग्रुप) कं., लि. ने तियानचेन की वस्तुओं के असंबंधित व्यापारी के रूप में फॉर्मेट C, D और E दायर किए। टेक्सपो इंटरनेशनल लि. तथा झेजियांग जियाहुआ एनर्जी केमिकल इंडस्ट्री कं., लि. ने पंजीकरण कराया परंतु कोई उत्तर दायर नहीं किया।

छ.2. उत्तरों की अस्वीकृति

<u>क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध</u>

33. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन से अधिकांश आयात (द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार लगभग *** व्यापारियों के माध्यम से लगभग *** मी.ट.) ऐसे व्यापारियों के माध्यम से किए गए जिन्होंने भाग नहीं लिया; कि उत्तर देने वाले उत्पादकों ने प्रत्यक्ष रूप से केवल लगभग *** मी.ट. का निर्यात किया; कि जहां मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है, वहां सीआईएफ तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सकता; तथा Isobutylene-Isoprene Rubber (फा. सं. 6/05/2023-डीजीटीआर, 29.06.2024), Hot-rolled flat products from Vietnam (फा. सं. 06/15/2024-डीजीटीआर, 13.08.2025), Uncoated Copier Paper (फा. सं. 6/32/2017-डीजीएडी, 30.08.2018 - जहां 32-43% निर्यात असहयोगी असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से हुए थे, वहां अस्वीकृति) तथा Emulsion SBR (फा. सं. 6/07/2025-डीजीटीआर, 20.03.2026) में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर निर्भरता व्यक्त की। उसने उदाहरण के रूप में चिंगदाओ हाईवान का नाम लिया।

<u>ख. प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

34. सीएनएसआईजी जिलानताई / चाइना सॉल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग. चाइना सॉल्ट का फॉर्मेट E पीओआई में भारत को *** मी.ट. का निर्यात दर्शाता है, जिसमें से *** मी.ट. (***%) टेक्सपो इंटरनेशनल लि., हांगकांग को बेचा गया, जो एक असंबंधित व्यापारी है जिसने पंजीकरण तो कराया परंतु उत्तर दायर नहीं किया। आगे की मात्राएं *** (*** मी.ट., ***%), *** (*** मी.ट., ***%) तथा *** (*** मी.ट., ***%) को बेची गईं, जिनमें से किसी ने भी उत्तर दायर नहीं किया। उत्पादक द्वारा इन व्यापारियों की पुनर्विक्रय सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि निर्यातों के एक बड़े भाग की मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है, कि उन निर्यातों के लिए भारत को निर्यात कीमत स्थापित नहीं की जा सकती, और उत्तर को अस्वीकार करते हैं। इस समूह पर अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।

35. शांक्सी बेइयुआन. शांक्सी बेइयुआन द्वारा अपने प्रमुख आदानों और उपयोगिताओं की खपत तथा प्राप्ति के संबंध में प्रस्तुत सूचना का मिलान नहीं होता: खरीदी गई के रूप में सूचित मात्राएं संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में खपत की गई मात्राओं का केवल एक छोटा भाग हैं, तथा शेष मात्रा की आपूर्ति का स्रोत और शर्तें प्रकट नहीं की गई हैं। इस सूचना के अभाव में, संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ का निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

प्राधिकारी अनंतिम रूप से उत्तर को अस्वीकार करते हैं तथा नियमावली और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों को लागू करते हैं।

36. झोंगताई समूह (शिनजियांग शेंगशियोंग, झोंगताई आईएंडई, झोंग ताई एचके). तीनों इकाइयों ने उत्तर दायर किए। शेंगशियोंग ने भारत के लिए अपनी वस्तुओं का ***% झोंगताई आईएंडई को तथा ***% झोंग ताई एचके को बेचा; झोंगताई आईएंडई ने ***% झोंग ताई एचके को बेचा। झोंग ताई एचके ने *** मी.ट., अर्थात अपने *** मी.ट. का ***%, भारत से बाहर के असंबंधित क्रेताओं (***) को बेचा, जिनमें से किसी ने भी उत्तर दायर नहीं किया; पुनर्विक्रय आंकड़े केवल *** (*** मी.ट.) के लिए प्रस्तुत किए गए। चूंकि समूह के भारत को निर्यातों के अधिकांश भाग की मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है, अतः उन निर्यातों के लिए भारत को निर्यात कीमत स्थापित नहीं की जा सकती, और प्राधिकारी अनंतिम रूप से उत्तर को अस्वीकार करते हैं। इस समूह पर अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।

37. मूल्य श्रृंखला की पूर्णता. प्रत्येक उत्पादक समूह पर, भारत को उसके निर्यातों के उस हिस्से के संदर्भ में, एक ही परीक्षण लागू किया गया है जो ऐसे असंबंधित मध्यस्थों के माध्यम से बेचा गया जिन्होंने न तो उत्तर दायर किया और न ही जिनकी पुनर्विक्रय सूचना प्रस्तुत की गई। सीएनएसआईजी जिलानताई (40-50%) तथा झोंगताई समूह (50-60%) के लिए, ऐसे निर्यात भारत को उनके निर्यातों का लगभग आधा हैं, जिससे उनके निर्यातों के एक बड़े भाग के लिए निर्यात कीमत स्थापित नहीं की जा सकती, और उनके उत्तर अस्वीकार किए जाते हैं। अन्य समूहों के लिए, प्रस्तुत पुनर्विक्रय सूचना सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना इस प्रारंभिक चरण पर पर्याप्त मानी गई है। इस विषय की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

<u>छ.3. गणना पद्धति</u>

38. सब्सिडी तब विद्यमान होती है जब किसी सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान (अथवा आय/कीमत समर्थन) किया जाता है, उससे लाभ प्रदान होता है, तथा सब्सिडी विनिर्दिष्ट है (अधिनियम की धारा 9 तथा नियमावली)। प्रत्येक समूह के लिए लाभ का परिमाणन निम्नलिखित आधार पर किया गया है, जो नीचे मद i) में उल्लिखित के सिवाय सभी समूहों पर लागू है:

क) अनुदान: पीओआई में प्राप्त और व्यय की गई राशियां; 10 वर्ष के एयूएल के भीतर प्राप्त परिसंपत्ति-संबंधी अनुदान सीधी-रेखा पद्धति से आवंटित (सकल / 10)।

ख) आयकर कार्यक्रम: कर वर्ष 2024 की विवरणी में बचाया गया कर (एचएनटीई 15% दर, पश्चिमी क्षेत्र 15% दर, लागू दर पर अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती, विशेष-उपकरण क्रेडिट)।

ग) ऋण, बिल भुनाई तथा निर्यात विक्रेता ऋण: बेंचमार्क ***% प्रति वर्ष (डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की अल्पकालिक दर, जैसा घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया); लाभ = (बेंचमार्क - वास्तविक दर) x पीओआई में बकाया मूलधन-वर्ष। चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ के लिए, मद i) देखें।

घ) बिजली (एलटीएआर): बेंचमार्क आरएमबी 0.8836/किलोवाट-घंटा (वैट को छोड़कर), जो पीओआई के लिए थाईलैंड के मासिक राष्ट्रीय औसत टैरिफ (ईआरसी आधार टैरिफ + एफटी) का औसत है तथा मासिक आरएमबी/टीएचबी दर पर परिवर्तित है; लाभ = (बेंचमार्क - वैट को छोड़कर तथा शुल्कों सहित भुगतान की गई कीमत) x किलोवाट-घंटा, न्यूनतम शून्य, जो सभी आपूर्तिकर्ताओं पर लागू है, चाहे राज्य-स्वामित्व वाले हों अथवा गैर-राज्य-स्वामित्व वाले, कैप्टिव और संबंधित आपूर्तिकर्ताओं सहित।

ङ) स्टीम कोयला (एलटीएआर): बेंचमार्क आरएमबी ***/टन (वैट को छोड़कर) (पीओआई के दौरान किसी उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा भुगतान की गई उच्चतम सुपुर्द कीमत), सभी आपूर्तिकर्ताओं पर लागू, कैलोरिफिक-मूल्य समायोजन के बिना।

च) भूमि उपयोग अधिकार (एलटीएआर): अधिग्रहण के वर्ष के लिए थाईलैंड औद्योगिक भूमि कीमत (नाइट फ्रैंक), पीओआई की औसत दर पर परिवर्तित; प्रति भूखंड लाभ = (बेंचमार्क - भुगतान की गई कीमत) प्रति वर्ग मीटर x क्षेत्रफल, भूमि-उपयोग अवधि पर विस्तारित (जहां उल्लिखित न हो वहां 50 वर्ष); केवल सरकारी अंतरणकर्ता। चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ के लिए, मद i) देखें।

छ) भाजक: बिजली लाभ को कंपनी के कुल कारोबार से विभाजित किया गया है, सिवाय वानहुआ समूह तथा ग्वांगशी हुआयी / शंघाई क्लोर-अल्कली समूह के, जिनके लिए, इस चरण पर, सूचित सभी किलोवाट-घंटा पर लाभ को विचाराधीन उत्पाद के कारोबार से विभाजित किया गया है। इन उत्पादकों द्वारा सूचित बिजली के कवरेज, तथा लाभ के कारोबार के साथ उपयुक्त मिलान, की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी। अन्य सभी घरेलू कार्यक्रमों को कंपनी के कुल कारोबार से तथा निर्यात-आकस्मिक कार्यक्रमों को कुल निर्यात कारोबार से विभाजित किया गया है। उत्पादक समूहों के लिए, लाभों और कारोबार को समेकित करके एकल मार्जिन निर्धारित किया गया है।

ज) जिन आदानों के संबंध में जांच शुरू नहीं की गई (ईडीसी, वीसीएम, कैल्शियम कार्बाइड, नमक, कोक/सेमी-कोक, चूना, एचसीएल) उनका इन जांच परिणामों में प्रतिसंतुलन नहीं किया गया है। एथिलीन की जांच खंड छ.5(vii) में की गई है; मद j) देखें।

झ) चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ ने अपने स्रोत आंकड़ों से जुड़ी पूर्ण कार्यक्रम-वार गणनाएं प्रस्तुत कीं। इन दो उत्पादकों के लिए प्राधिकारी उनकी अपनी गणना - उनकी मात्राएं, कीमतें, कवरेज तथा भाजक (भारत को निर्यात कीमत पर कंपनी की कुल बिक्री मात्रा) - अपनाते हैं और केवल बेंचमार्कों को प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए बेंचमार्कों से प्रतिस्थापित करते हैं (बिजली आरएमबी 0.8836/किलोवाट-घंटा वैट को छोड़कर; स्टीम कोयला आरएमबी ***/टन; उनके द्वारा सूचीबद्ध ऋण राशियों पर ब्याज ***% प्रति वर्ष; अधिग्रहण वर्ष के थाईलैंड बेंचमार्क पर भूमि, क्षेत्रफल द्वारा भारित, 50 वर्षों में विस्तारित)। अनुदान और कर कार्यक्रम उनके द्वारा की गई गणना के अनुसार लिए गए हैं; जल तथा जिन आदानों के संबंध में जांच शुरू नहीं की गई वे अपवर्जित हैं; एथिलीन मद j) के अनुसार है।

ञ) एथिलीन (एलटीएआर): बेंचमार्क = पीओआई में उत्पादक की अपनी एथिलीन की भारित आयात कीमत (सीएफआर, वैट को छोड़कर); प्रत्येक घरेलू आपूर्तिकर्ता के लिए लाभ = (बेंचमार्क - भुगतान की गई भारित कीमत) x टन, न्यूनतम शून्य; रिकॉर्ड पर एथिलीन खरीद वाले प्रत्येक उत्पादक समूह पर लागू; कंपनी के कुल कारोबार से विभाजित (तियानजिन बोहुआ: उसका अपना भाजक, मद i))।

छ.4. चीन सरकार का सहयोग

39. जीओसी ने उत्तर दायर किया परंतु अनुदान कार्यक्रमों के लिए कंपनियों के उत्तरों का संदर्भ दिया, तथा एलटीएआर कार्यक्रमों (जल, भूमि, स्टीम कोयला, बिजली) के लिए आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व और बाजार-हिस्से के आंकड़े, कीमत-निर्धारण संबंधी सूचना अथवा उन बाजारों में जीओसी की भूमिका की सूचना प्रस्तुत नहीं की। प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर (एससीएम करार का अनुच्छेद 12.7 तथा नियमावली) अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि (i) ग्रिड कंपनियां तथा ऋणदाता बैंक सार्वजनिक निकाय हैं; (ii) देश में बिजली और भूमि की कीमतें जीओसी की प्रधान भूमिका के कारण विकृत हैं, जिससे देश के बाहर के बेंचमार्क अपेक्षित हैं; तथा (iii) अनुदान विनिर्दिष्ट हैं, क्योंकि जीओसी ने पात्रता मानदंड रोक लिए हैं।

छ.5. सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम (i) से (viii): पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान (जल, भूमि, राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों को अधिमानी भूमि, स्टीम कोयला, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, कास्टिक सोडा, क्लोरीन)

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

40. आवेदकों ने आरोप लगाया कि जीओसी, प्रत्यक्ष रूप से तथा राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के माध्यम से, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर जल, भूमि उपयोग अधिकार, स्टीम कोयला, बिजली, कास्टिक सोडा और क्लोरीन प्रदान करती है, तथा ये कार्यक्रम उद्योगों और क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट हैं। आवेदक जल कानून, प्रांतीय योजनाओं तथा यूरोपीय आयोग और अमरीकी वाणिज्य विभाग के निर्धारणों पर निर्भर हैं। अपने अतिरिक्त अनुरोधों में, आवेदकों ने बिजली (थाईलैंड यूएसडी 0.127/किलोवाट-घंटा अथवा भारत यूएसडी ***/किलोवाट-घंटा) तथा भूमि (थाईलैंड टीएचबी 250/वर्ग मीटर अथवा भारत आईएनआर ***/वर्ग मीटर) के लिए बेंचमार्क प्रस्तावित किए, तथा भूमि बेंचमार्क के रूप में थाईलैंड हेतु Atrazine Technical (22.08.2019) तथा Digital Offset Printing Plates (28.03.2025) में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर निर्भरता व्यक्त की।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

41. जीओसी ने अनुरोध किया कि साक्ष्य पुराने हैं अथवा अन्य उद्योगों से संबंधित हैं; कि जल और बिजली की कीमतें प्रयोक्ता श्रेणियों के भीतर एकसमान हैं तथा 2021 से बाजार-निर्धारित हैं; कि भूमि सार्वजनिक बोली के माध्यम से आवंटित की जाती है; कि किसी उत्तरदाता ने कास्टिक सोडा अथवा क्लोरीन नहीं खरीदा; तथा कि कोई भी कार्यक्रम विनिर्दिष्ट नहीं है। उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य प्रयोक्ताओं पर लागू दरों पर जल और बिजली खरीदी, कि भूमि समनुदेशन द्वारा अधिग्रहित की गई, कि कोयला निविदाओं के माध्यम से खरीदा जाता है, तथा कि कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वानहुआ ने अनुरोध किया कि उसके आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक निकाय नहीं हैं तथा विदेशी निर्धारणों को अंतरित नहीं किया जा सकता।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

42. कैल्शियम-कार्बाइड मार्ग वाले समूह (जुनझेंग, चिपिंग शिनफा, एर्डोस, सीएनएसआईजी जिलानताई, शांक्सी बेइयुआन, तियानचेन, यिहुआ, यिबिन हाइफेंग हेरुई) स्टीम कोयला, कैल्शियम कार्बाइड तथा बड़ी मात्रा में बिजली, जो प्रायः कैप्टिव अथवा संबंधित इकाइयों से होती है, का उपयोग करते हैं; एथिलीन मार्ग वाले समूह (चिंगदाओ हाईवान, तियानजिन बोहुआ, वानहुआ, ग्वांगशी हुआयी/शंघाई क्लोर-अल्कली) एथिलीन/ईडीसी तथा ग्रिड अथवा संबंधित-पक्षकार बिजली का उपयोग करते हैं। नीचे कार्यक्रमों की जांच आदान-वार की गई है।

(क) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली (कार्यक्रम v)

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

43. उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुरोध किया कि बिजली अन्य प्रयोक्ताओं पर लागू दरों पर खरीदी गई तथा कोई लाभ उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी स्वयं की गणनाओं में, चिंगदाओ हाईवान, तियानजिन बोहुआ, चिपिंग शिनफा, यिबिन हाइफेंग हेरुई तथा तियानचेन ने अपनी स्वयं की कीमत x 1.01 के बराबर बेंचमार्क तथा कंपनी की कुल बिक्री का उपयोग किया; एर्डोस ने पीयूसी कारोबार पर अपनी संपूर्ण कंपनी की खपत का उपयोग किया; वानहुआ समूह ने चीनी एकल-भाग/द्वि-भाग टैरिफ औसत (आरएमबी ***/किलोवाट-घंटा) के बराबर बेंचमार्क का उपयोग किया तथा लाभ को पीयूसी कारोबार से विभाजित किया (फुजियान ***%, यानताई ***%; सभी कार्यक्रमों के लिए समूह का दावा ***%); सीएनएसआईजी, क्लोर-अल्कली समूह तथा बेइयुआन ने कहा कि कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया गया। ट्राइलीगल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कुछ उत्पादकों ने अनुरोध किया कि कुल

कारोबार सही भाजक है, जबकि अन्य ने पीयूसी कारोबार का उपयोग किया। वानहुआ ने अनुरोध किया कि उसके आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक निकाय नहीं हैं तथा बेंचमार्क के रूप में मलेशियाई टैरिफ (आरएमबी ***/किलोवाट-घंटा) पर निर्भरता व्यक्त की।

<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

44. घरेलू उद्योग ने यूएसडी 0.127/किलोवाट-घंटा (globalpetrolprices.com) का थाईलैंड बेंचमार्क अथवा, वैकल्पिक रूप से, यूएसडी ***/किलोवाट-घंटा (आईएनआर ***/किलोवाट-घंटा, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड) की भारतीय कीमत प्रस्तावित की, तथा मार्ग-वार खपत मानदंडों (कार्बाइड मार्ग के लिए *** किलोवाट-घंटा/मी.ट.; एथिलीन मार्ग के लिए *** किलोवाट-घंटा/मी.ट.) पर, आरएमबी ***/किलोवाट-घंटा की अनुमानित चीनी कीमत पर, यूएसडी ***/मी.ट. के सीआईएफ पर लाभ की गणना की।

<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

45. उत्पादक की स्वयं की कीमत के बराबर अथवा चीनी विनियमित टैरिफ के बराबर बेंचमार्क उन टैरिफ द्वारा प्रदत्त लाभ को नहीं माप सकता, तथा वानहुआ समूह द्वारा जिस मलेशियाई टैरिफ पर निर्भरता व्यक्त की गई है उसका तुलनीय बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करना नहीं दर्शाया गया है; इनमें से कोई भी नहीं अपनाया गया है। चूंकि चीन में बिजली की कीमतें सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तथा आपूर्ति मुख्यतः राज्य-स्वामित्व वाले ग्रिड उद्यमों द्वारा की जाती है, अतः ऐसी कोई बाजार-निर्धारित घरेलू कीमत उपलब्ध नहीं है जिसके सापेक्ष पारिश्रमिक की पर्याप्तता को मापा जा सके, तथा देश के बाहर के बेंचमार्क की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने थाईलैंड का चयन इसलिए किया है क्योंकि (i) यह विकास के तुलनीय चरण पर स्थित एक एशियाई अर्थव्यवस्था है; (ii) इसके बिजली टैरिफ एक स्वतंत्र विनियामक, ऊर्जा विनियामक आयोग, द्वारा प्रकाशित लागत आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें ईंधन समायोजन प्रभार (एफटी) प्रत्येक चार माह में संशोधित किया जाता है, तथा पीओआई के प्रत्येक माह के आधिकारिक टैरिफ निर्णय रिकॉर्ड पर हैं; (iii) थाईलैंड में घरेलू पीवीसी और क्लोर-अल्कली उद्योग है, जिससे उसके औद्योगिक टैरिफ तुलनीय प्रयोक्ताओं की स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं; तथा (iv) किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इससे अधिक उपयुक्त बेंचमार्क रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी पीओआई के लिए आरएमबी 0.8836/किलोवाट-घंटा (वैट को छोड़कर) के थाईलैंड राष्ट्रीय औसत टैरिफ को अपनाते हैं, थाईलैंड वह बेंचमार्क देश है जिसे घरेलू उद्योग ने भी प्रस्तावित किया है, तथा इसे अनुमानित कीमतों अथवा खपत मानदंडों के बजाय प्रत्येक उत्पादक की वास्तविक खरीद पर लागू करते हैं। भाजक खंड छ.3 (मद g और i) में निर्धारित अनुसार हैं। परिणामी बिजली लाभ और दरें निम्नानुसार हैं:

समूह	किलोवाट-घंटा (मिलियन)	भुगतान की गई कीमत, वैट को छोड़कर (आरएमबी/किलोवाट-घंटा)	लाभ (आरएमबी मिलियन)	दर (%)
चिंगदाओ हाईवान	***	***	***	5-10%
तियानजिन बोहुआ	***	***	***	1-5%
जुनझेंग समूह	***	***	***	10-20%
चिपिंग शिनफा समूह	***	***	***	10-20%
वानहुआ समूह	***	***	***	20-30%
एडोस	***	***	***	50-60%
क्लोर-अल्कली समूह	***	***	***	10-20%
तियानचेन समूह	***	***	***	70-80%
यिहुआ	***	***	***	50-60%
यिबिन तियानयुआन समूह	***	***	***	20-30%

(ख) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर स्टीम कोयला (कार्यक्रम iv)

प्राधिकारी द्वारा जांच

46. रिकॉर्ड पर उपलब्ध कोयला खरीद की जांच आरएमबी ***/टन के बेंचमार्क पर की गई (खंड छ.3, मद e)। परिणामी दरें हैं: चिंगदाओ हाईवान 0-1% (उसकी अपनी गणना पर, राज्य-स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ताओं से उसकी खरीद को कवर करते हुए); जुनझेंग समूह 0-1%; तथा यिबिन हाइफेंग हेरुई 1-5% (संबंधित कंपनियों से खरीद)। तियानचेन, यिहुआ तथा एर्डोस कोक/सेमी-कोक खरीदते हैं अथवा समूह की खदानों का उपयोग करते हैं, शांक्सी बेइयुआन कार्बाइड खरीदता है, तथा एथिलीन-मार्ग वाले समूहों ने स्टीम कोयले की कोई खरीद सूचित नहीं की। कैप्टिव अथवा संबंधित विद्युत संयंत्रों द्वारा उपभुक्त कोयले का पृथक रूप से प्रतिसंतुलन नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा आपूर्त बिजली की तुलना पहले ही बिजली बेंचमार्क से की जा चुकी है (खंड छ.3, मद d)। किसी भी पक्षकार द्वारा कैलोरिफिक-मूल्य समायोजन प्रमाणित नहीं किया गया है।

(ग) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकार (कार्यक्रम ii, iii, vi)

प्राधिकारी द्वारा जांच

47. सरकारी अंतरणकर्ताओं से अधिग्रहित भूखंडों की तुलना अधिग्रहण वर्ष के थाईलैंड बेंचमार्क से की गई; निजी अथवा संबंधित अंतरणकर्ताओं से प्राप्त भूखंड तथा पीओआई के पश्चात के भूखंड अपवर्जित किए गए। दरें (कंपनी का कुल कारोबार; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनकी अपनी गणना और भाजक पर): चिंगदाओ हाईवान 0-1%; तियानजिन बोहुआ 0-1%; जुनझेंग समूह 0-1%; चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 0-1%; एर्डोस 0-1% (मूल कंपनी को आवंटित तथा शाखा को पट्टे पर दिए गए चार भूखंड, क्षेत्रफल के अनुपात में लिए गए); क्लोर-अल्कली समूह 0-1%; यिहुआ 0-1%; यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%; तियानचेन समूह शून्य (संबंधित अंतरणकर्ता से अधिग्रहित भूखंड, इस चरण पर प्रतिसंतुलित नहीं)। घरेलू उद्योग का थाईलैंड टीएचबी 250/वर्ग मीटर (सीबीआरई एशिया मार्केटव्यू, 2010) अथवा आईएनआर ***/वर्ग मीटर (भारत) का विकल्प, पुराना अथवा तुलनीय न होने के कारण, नहीं अपनाया गया है; प्राधिकारी घरेलू उद्योग से सहमत हैं कि Digital Offset Printing Plates में दर्ज कारणों से थाईलैंड एक उपयुक्त बेंचमार्क देश है।

(घ) जल (कार्यक्रम i)

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. किसी भी पक्षकार द्वारा जल के लिए कोई बेंचमार्क रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है; इस चरण पर कार्यक्रम का परिमाणन नहीं किया गया है।

(ङ) कास्टिक सोडा और क्लोरीन (कार्यक्रम vii, viii)

प्राधिकारी द्वारा जांच

49. उत्तर देने वाले उत्पादक एकीकृत क्लोर-अल्कली उत्पादक हैं जो क्लोरीन और कास्टिक सोडा का स्वयं उत्पादन करते हैं; प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता।

(ii) कार्यक्रम (ix) से (xxxi): कर और वैट प्रोत्साहन

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

50. आवेदकों ने 23 कर कार्यक्रमों का आरोप लगाया, जिनमें अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती, उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यमों (एचएनटीई) के लिए 15% की घटी हुई दर, पश्चिमी क्षेत्र कर रियायत तथा विशेष उपकरण की खरीद पर कर क्रेडिट शामिल हैं, तथा अनुरोध किया कि सत्यापित आदान-खपत प्रणाली के अभाव में आयात-शुल्क छूट प्रतिसंतुलनीय हैं। अपने अतिरिक्त अनुरोधों में, आवेदकों ने मूल कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों से आयकर तथा "अतिरिक्त वैट" लाभों की गणना

की (उदाहरणार्थ अतिरिक्त वैट हेतु सीआईएफ का शंघाई क्लोर-अल्कली 7.23%, झोंगताई 4.07%, यिबिन तियानयुआन 3.03%, तियानजिन बोहाई 2.84%, एर्डोस 2.52%, वानहुआ 1.95%, जुनझेंग 1.23%)।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

51. जीओसी ने अनुरोध किया कि किसी भी उत्तरदाता ने कार्यक्रम (x)-(xxi), (xxv), (xxvii)-(xxix), (xxxi) का उपयोग नहीं किया, तथा शेष कार्यक्रम सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती (ix), एचएनटीई 15% दर (xxii), पश्चिमी क्षेत्र 15% दर (xxiii), विशेष-उपकरण कर क्रेडिट (xxvi) तथा लाभांश छूट (lxv) के उपयोग की सूचना दी; कुछ उत्तरदाताओं ने कर वर्ष 2024 के लिए कोई आयकर देय न होने की सूचना दी।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

52. कर रियायतें सरकारी राजस्व के परित्याग के रूप में वित्तीय अंशदान हैं तथा बचाए गए कर के बराबर लाभ प्रदान करती हैं। एचएनटीई 15% दर तथा पश्चिमी क्षेत्र 15% दर विनिर्दिष्ट हैं (विधितः / क्षेत्रीय); अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती तथा विशेष-उपकरण क्रेडिट को अनंतिम रूप से विनिर्दिष्ट माना गया है, क्योंकि जीओसी ने पात्रता मानदंड प्रस्तुत नहीं किए। दरें (कंपनी के कुल कारोबार पर; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनके अपने भाजक पर): एचएनटीई - तियानजिन बोहुआ 0-1%, जुनझेंग समूह 0-1%, चिपिंग शिनफा समूह 1-5%, क्लोर-अल्कली समूह 0-1%, यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%; अनुसंधान एवं विकास - चिंगदाओ हाईवान 0-1%, जुनझेंग समूह 0-1%, चिपिंग शिनफा समूह 0-1%, एर्डोस 0-1%, क्लोर-अल्कली समूह 0-1%, यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%; विशेष उपकरण - चिंगदाओ हाईवान 0-1%, जुनझेंग समूह 0-1%, चिपिंग शिनफा समूह 0-1%, क्लोर-अल्कली समूह 0-1%; पश्चिमी क्षेत्र - एर्डोस 0-1%। उत्तरदाताओं द्वारा सूचित वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट: चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 0-1%; यिबिन हाइफेंग हेरुई 1-5%। निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट दोहरे कराधान से बचाती है तथा इसका प्रतिसंतुलन नहीं किया गया है।

53. घरेलू उद्योग के मूल-कंपनी स्तर के आंकड़े यथावत नहीं अपनाए गए हैं: वे उत्तरदाताओं के अपने आंकड़ों के बजाय मूल कंपनियों के समेकित राजस्व, कर और अनुदानों पर आधारित हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया "अतिरिक्त वैट क्रेडिट" जांच शुरू किए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इसकी अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

(iii) कार्यक्रम (xxxii) से (xxxvii): अधिमानी ऋण और उधार

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

54. आवेदकों ने रासायनिक उद्योग को राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा नीतिगत ऋण, राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों को अधिमानी ऋण तथा ब्याज भत्तों का आरोप लगाया, तथा कोई थाई ब्याज दर उपलब्ध न होने के कारण डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की अल्पकालिक उधार दर (***%) को बेंचमार्क के रूप में प्रस्तावित किया।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

55. जीओसी ने अनुरोध किया कि वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक निकाय नहीं हैं तथा एलपीआर बाजार-निर्धारित है। अनेक उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके ऋण पीबीओसी बेंचमार्क/एलपीआर पर अथवा उससे अधिक पर हैं; उत्तरदाताओं की अपनी गणनाओं में भिन्न बेंचमार्कों का उपयोग किया गया (उदाहरणार्थ समूह द्वारा भुगतान की गई उच्चतम दर, अथवा एलपीआर)।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

56. उत्तर देने वाले उत्पादकों को उधार मुख्यतः राज्य-स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों, नीतिगत बैंकों तथा समूह वित्त कंपनियों द्वारा दिया गया है; अनेक समूहों (जुनझेंग, वानहुआ फुजियान, यिहुआ, एर्डोस, तियानजिन बोहुआ) ने एलपीआर से कम घोषित मार्जिन पर उधार लिया, तथा वानहुआ फुजियान को प्रांतीय ब्याज सब्सिडी (कार्यक्रम xxxv) प्राप्त हुई। ***% के बेंचमार्क पर दरें (कंपनी का कुल कारोबार; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनकी अपनी गणना, अर्थात (बेंचमार्क - दर) x ऋण राशि, और उनके अपने भाजक पर) हैं: चिंगदाओ हाईवान 5-10%; तियानजिन बोहुआ 5-10%; जुनझेंग समूह 1-5% तथा बिल भुनाई 0-1%; चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 1-5%; एर्डोस 0-1% (एक संबंधित कंपनी द्वारा आगे उधार दिए गए ऋण) तथा बिल भुनाई 0-1%; क्लोर-अल्कली समूह 1-5% (एक समूह वित्त कंपनी से ऋणों सहित); यिहुआ 1-5%; यिबिन हाइफेंग हेरुई 1-5%; तियानचेन समूह 1-5%।

(iv) कार्यक्रम (xxxviii) से (liv): अनुदान

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

57. आवेदकों ने अनुदानों का आरोप लगाया, जिनमें प्रसिद्ध-ब्रांड पुरस्कार, अनुसंधान एवं विकास सहायता, निर्यात सहायता, अंतरराष्ट्रीय बाजार निधियां, प्रमुख उद्योगों हेतु विशेष निधियां, ट्रेजरी-बॉन्ड अनुदान तथा प्रांतीय/नगरपालिका अनुदान शामिल हैं। अपने अतिरिक्त अनुरोधों में, आवेदकों ने तियानजिन बोहुआ की मूल कंपनी तियानजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप के अनुदानों को आस्थगित अनुदानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

58. जीओसी ने कंपनियों के उत्तरों का संदर्भ दिया। उत्तर देने वाले उत्पादकों ने प्राप्त अनुदानों की सूचियां प्रस्तुत कीं, जिनमें उच्च-गुणवत्ता विनिर्माण विकास हेतु विशेष निधियां, उपकरण नवीकरण हेतु अति-दीर्घकालिक विशेष ट्रेजरी बॉन्ड निधियां, ऊर्जा-बचत और प्रौद्योगिकी-नवीकरण निधियां, रोजगार स्थिरीकरण सब्सिडी तथा निर्यात सहायता अनुदान शामिल हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

59. अनुदान निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण हैं तथा प्राप्त राशि के बराबर लाभ प्रदान करते हैं; 10 वर्ष के एयूएल के भीतर प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान एयूएल पर आवंटित किए गए हैं (खंड छ.3, मद a)। जीओसी से पात्रता मानदंड के अभाव में, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनुदानों को अनंतिम रूप से विनिर्दिष्ट माना गया है। दरें (कंपनी के कुल कारोबार पर; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनके अपने भाजक पर) हैं: चिंगदाओ हाईवान 0-1% (एयूएल के भीतर आरएमबी *** मिलियन के परिसंपत्ति अनुदानों सहित); तियानजिन बोहुआ 0-1%; जुनझेंग समूह 0-1%; चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 0-1%; एर्डोस 0-1%; क्लोर-अल्कली समूह 0-1%; तियानचेन समूह 0-1%; यिहुआ 0-1%; तथा यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%। क्लोर-अल्कली समूह के लिए, आस्थगित आय के रूप में दर्ज शंघाई क्लोर-अल्कली के परिसंपत्ति अनुदान (आरएमबी *** मिलियन) तथा उसकी अनुदान सूची में शामिल न किए गए पीओआई आय अनुदान (आरएमबी *** मिलियन) उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उसके लेखापरीक्षित लेखों से लिए गए हैं। तियानजिन बोहुआ द्वारा प्राप्त साइनोश्योर प्रीमियम वापसी निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है तथा 0-1% (उसके अपने भाजक पर) की दर देती है। एर्डोस की अनुदान सूची औसत उपयोगी जीवनकाल की अवधि के एक भाग के दौरान कोई अनुदान प्राप्त न होना दर्शाती है; अंतिम चरण में इस सूची का उसके लेखापरीक्षित लेखों से मिलान किया जाएगा। तियानजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप के लिए आवेदकों के संशोधित आंकड़े मूल कंपनी के समेकित लेखों पर आधारित हैं तथा, कर कार्यक्रमों के मामले के समान, यथावत नहीं अपनाए गए हैं; मूल कंपनी द्वारा प्राप्त कोई

अनुदान तियानजिन बोहुआ को आरोप्य है अथवा नहीं, इसकी अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

<u>(v) कार्यक्रम (lv) से (lix): निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण</u>

<u>क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध</u>

60. आवेदकों ने चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात विक्रेता और क्रेता ऋण, निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी (साइनोश्योर) तथा ऋण गारंटियों का आरोप लगाया।

<u>ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध</u>

61. जीओसी ने उत्तरदाताओं द्वारा इन कार्यक्रमों के उपयोग से इनकार किया। जुनझेंग समूह ने 1-वर्षीय एलपीआर से कम मार्जिन पर एक्ज़िम बैंक निर्यात विक्रेता ऋण की सूचना दी; वानहुआ फुजियान तथा यिहुआ ने साइनोश्योर से खरीदे गए निर्यात ऋण बीमा की सूचना दी; तियानजिन बोहुआ को साइनोश्योर प्रीमियम वापसी प्राप्त हुई।

<u>ग. प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

62. निर्यात विक्रेता ऋण तथा प्रीमियम वापसी निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक हैं तथा विनिर्दिष्ट हैं। ***% के बेंचमार्क पर जुनझेंग समूह के निर्यात विक्रेता ऋण पर लाभ निर्यात कारोबार का 1-5% है; तियानजिन बोहुआ को प्रीमियम वापसी को निर्यात-आकस्मिक अनुदान माना गया है (ऊपर)। साइनोश्योर प्रीमियमों की पर्याप्तता के लिए साइनोश्योर की दीर्घकालिक परिचालन लागतों और हानियों की सूचना अपेक्षित है, जो जीओसी ने प्रस्तुत नहीं की है; इस चरण पर इसका परिमाणन नहीं किया गया है।

<u>(vi) कार्यक्रम (lx) से (lxv): इक्विटी निवेश तथा संबंधित कार्यक्रम</u>

<u>क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध</u>

63. आवेदकों ने ऋण-के-बदले-इक्विटी विनिमय, इक्विटी निवेश, अदत्त लाभांश, ऋण माफी, विलेख-कर छूट तथा लाभांश छूट का आरोप लगाया।

<u>ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध</u>

64. जीओसी ने अनुरोध किया कि जिस विलेख-कर सूचना पर निर्भरता व्यक्त की गई है वह 2017 में समाप्त हो गई। इनर मंगोलिया यिहुआ ने एयूएल के दौरान अपनी मूल कंपनी द्वारा पूंजी अंशदान की सूचना दी; मूल कंपनी का एक राज्य-नियंत्रित शेयरधारक है।

<u>ग. प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

65. विलेख-कर छूट को अनंतिम रूप से पीओआई के दौरान उपयोग न किया गया माना गया है। यिहुआ को पूंजी अंशदान निजी निवेशकों की सामान्य निवेश प्रथा के असंगत था अथवा नहीं, इसके लिए इक्विटी-योग्यता मूल्यांकन अपेक्षित है; इस चरण पर इसका परिमाणन नहीं किया गया है। लाभांश छूट (lxv) - ऊपर कर कार्यक्रम देखें।

<u>(vii) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर एथिलीन</u>

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

66. एथिलीन मार्ग वाले उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत खरीद आंकड़े दर्शाते हैं कि उस मार्ग की प्रमुख कच्ची सामग्री एथिलीन घरेलू आपूर्तिकर्ताओं, जो राज्य-स्वामित्व वाले अथवा राज्य-निवेशित उद्यम हैं (साइनोपेक समूह की कंपनियां, तियानजिन दागू इंटरनेशनल तथा वानहुआ समूह की मूल कंपनी), तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, दोनों से खरीदी गई। कुछ घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के मामले में

भुगतान की गई कीमतें उन कीमतों से कम थीं जिन पर उन्हीं उत्पादकों ने पीओआई के दौरान एथिलीन का आयात किया।

67. इस प्रथा का आवेदन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था; यह जांच के दौरान उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना से प्रकाश में आई। जीओसी ने घरेलू एथिलीन आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व, कीमत निर्धारण तथा भूमिका की सूचना प्रस्तुत नहीं की है (खंड छ.4)। प्राधिकारी जीओसी को इस प्रथा तथा इसकी अनंतिम जांच की सूचना दे रहे हैं, तथा जीओसी को परामर्श का और सभी हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में अंतिम चरण में इस विषय की आगे जांच की जाएगी।

68. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी खंड छ.4 में दिए गए कारणों से अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि संबंधित घरेलू आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक निकाय हैं अथवा जीओसी के निर्देश पर कार्य करते हैं, तथा यह प्रावधान एथिलीन का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट है। बेंचमार्क के रूप में, प्राधिकारी पीओआई में प्रत्येक उत्पादक की अपनी एथिलीन की भारित औसत आयात कीमत को अपनाते हैं, जो उसी आदान के लिए उसी उत्पादक द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कीमत है (सीएफआर, वैट को छोड़कर)। प्रत्येक घरेलू आपूर्तिकर्ता के लिए, लाभ उस बेंचमार्क और भुगतान की गई भारित कीमत के अंतर को मात्रा से गुणा करके, जहां धनात्मक हो, निकाला गया है। यही नियम रिकॉर्ड पर एथिलीन खरीद वाले प्रत्येक उत्पादक समूह पर लागू किया गया है; तियानजिन बोहुआ ने स्वयं अपनी गणना में अपने आयात औसत को बेंचमार्क के रूप में प्रयुक्त किया। चिंगदाओ हाईवान ने अपनी एथिलीन खरीद की सूचना नहीं दी है; इस चरण पर उसके लिए कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है, तथा उससे यह सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। परिणाम निम्नानुसार हैं:

समूह	घरेलू आपूर्तिकर्ता (यथा सूचित)	टन (पीओआई)	भुगतान की गई कीमत (आरएमबी/टन)	उत्पादक की आयात कीमत (आरएमबी/टन)	लाभ (आरएमबी मिलियन)
क्लोर-अल्कली समूह (शंघाई क्लोर-अल्कली)	शंघाई सेक्को पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
क्लोर-अल्कली समूह (शंघाई क्लोर-अल्कली)	चाइना जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	***	***	***	शून्य
क्लोर-अल्कली समूह (ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली)	साइनोपेक केमिकल सेल्स कं., लि. ईस्ट चाइना ब्रांच	***	***	***	***
तियानजिन बोहुआ	साइनोपेक आईएनईओएस (तियानजिन) पेट्रोकेमिकल कं., लि.	***	***	***	***
तियानजिन बोहुआ	तियानजिन दागू इंटरनेशनल कं., लि.	***	***	***	शून्य
तियानजिन बोहुआ	तियानजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्प. एंड एक्सप. कॉर्प.	***	***	***	शून्य
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स)	वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लि.	***	***	***	***
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स)	वानहुआ केमिकल (यानताई) पेट्रोकेमिकल कं., लि.	***	***	***	शून्य
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स)	साइनोपेक केमिकल सेल्स कं., लि. ईस्ट चाइना ब्रांच	***	***	***	शून्य
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल (फुजियान))	वानहुआ केमिकल (फुजियान) गैस कं., लि.	***	***	***	शून्य

69. परिणामी दरें हैं: क्लोर-अल्कली समूह 0-1%, तियानजिन बोहुआ 0-1% (उसके अपने भाजक पर) तथा वानहुआ समूह 0-1%।

अगोपनीय

छ.6. सहयोगी उत्पादक समूहों के सब्सिडी मार्जिन

70. उपर्युक्त आधार पर, तथा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, अंतिम चरण पर सत्यापन के अधीन, सहयोगी उत्पादक समूहों के सब्सिडी मार्जिन (% यथामूल्य) निम्नानुसार हैं:

चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	5-10
(iv)	एलटीएआर पर स्टीम कोयला	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (स्टीम कोयला) का प्रावधान	0-1
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	5-10
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
कुल			**10-20**

तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	1-5
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	5-10
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	-
(xxxviii)-(liv)	निर्यात-आकस्मिक अनुदान (साइनोश्योर प्रीमियम वापसी)	निधियों का निर्यात-आकस्मिक प्रत्यक्ष अंतरण	0-1
छ.5(vii)	एलटीएआर पर एथिलीन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (एथिलीन) का प्रावधान	0-1
कुल			**10-20**

जुनझेंग समूह: इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	10-20

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(iv)	एलटीएआर पर स्टीम कोयला	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (स्टीम कोयला) का प्रावधान	0-1
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxii)-(xxxvii)	बिल भुनाई	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर बिलों की भुनाई	0-1
(lv)-(lix)	निर्यात विक्रेता ऋण	चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात-आकस्मिक ऋण (निर्यात कारोबार पर)	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
कुल			**10-20**

चिपिंग शिनफा समूह: चिपिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि.; चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	10-20
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	0-1
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)-(xxxi)	वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - जमा अथवा वापस किया गया वैट	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	1-5
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
कुल			**10-20**

वानहुआ समूह: वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि.; वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	20-30
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआइ में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)-(xxxi)	वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - जमा अथवा वापस किया गया वैट	0-1
छ.5(vii)	एलटीएआर पर एथिलीन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (एथिलीन) का प्रावधान	0-1
कुल			**30-40**

इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि. (क्लोर-अल्कली केमिकल ब्रांच कंपनी)

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	50-60
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	बिल भुनाई	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर बिलों की भुनाई	0-1
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआइ में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxiii)	पश्चिमी क्षेत्र 15% दर	परित्यक्त राजस्व - पश्चिमी क्षेत्र में 15% की दर से आयकर	0-1
कुल			**50-60**

क्लोर-अल्कली समूह: ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	10-20
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआइ में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
छ.5(vii)	एलटीएआर पर एथिलीन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (एथिलीन) का प्रावधान	0-1

अगोपनीय

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
कुल			**10-20**

तियानचेन समूह: तियानचेन केमिकल कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	70-80
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
कुल			**70-80**

इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	50-60
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
कुल			**50-60**

यिबिन तियानयुआन समूह: यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	20-30
(iv)	एलटीएआर पर स्टीम कोयला	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (स्टीम कोयला) का प्रावधान	1-5
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)-(xxxi)	वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - जमा अथवा वापस किया गया वैट	1-5
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
कुल			**30-40**

सब्सिडी मार्जिन का सारांश

उत्पादक समूह	मार्ग	बिजली	कोयला	भूमि	ऋण	बिल भुनाई	ईएससी*	अनुदान	वैट वापसी	एचएएनटीई	R&D	विशेष उपकरण	पश्चिमी क्षेत्र	निर्यात अनुदान*	एथिलीन	सब्सिडी मार्जिन (%)
चिंगदाओ हाईवान	एथिलीन	5-10	0-1	0-1	5-10	-	-	0-1	-	-	0-1	0-1	-	-	-	10-20
तियानजिन बोहुआ	एथिलीन	1-5	-	0-1	5-10	-	-	0-1	-	0-1	-	-	-	0-1	0-1	10-20
जुनझेंग समूह	कार्बाइड	10-20	0-1	0-1	1-5	0-1	1-5	0-1	-	0-1	0-1	0-1	-	-	-	10-20
चिपिंग शिनफा समूह	कार्बाइड	10-20	-	0-1	0-1	-	-	0-1	0-1	1-5	0-1	0-1	-	-	-	10-20
वानहुआ समूह	एथिलीन	20-30	-	0-1	1-5	-	-	0-1	0-1	-	-	-	-	-	0-1	30-40
एर्डोस	कार्बाइड	50-60	-	0-1	0-1	0-1	-	0-1	-	-	0-1	-	0-1	-	-	50-60
क्लोर-अल्कली समूह	एथिलीन	10-20	-	0-1	1-5	-	-	0-1	-	0-1	0-1	0-1	-	-	0-1	10-20
तियानचेन समूह	कार्बाइड	70-80	-	-	1-5	-	-	0-1	-	-	-	-	-	-	-	70-80
यिहुआ	कार्बाइड	50-60	-	0-1	1-5	-	-	0-1	-	-	-	-	-	-	-	50-60
यिबिन तियानयुआन समूह	कार्बाइड	20-30	1-5	0-1	1-5	-	-	0-1	1-5	0-1	0-1	-	-	-	-	30-40

* कुल निर्यात कारोबार पर (तियानजिन बोहुआ: उसके अपने भाजक पर)। एथिलीन: खंड छ.5(vii)। वानहुआ समूह तथा ग्वांगशी हुआयी / शंघाई क्लोर-अल्कली समूह की बिजली पीयूसी कारोबार पर है; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ के सभी कार्यक्रम उनके अपने भाजक पर हैं (खंड छ.3, मद i)); अन्य सभी कार्यक्रम कंपनी के कुल कारोबार पर हैं।

छ.7. उत्पादक, निर्यातक और व्यापारी

71. शुल्क केवल उत्पादक समूहों के लिए निर्धारित किया गया है; व्यापारियों के लिए कोई पृथक दर निर्धारित नहीं की गई है। उत्पादक समूह की दर उसकी वस्तुओं पर लागू होती है, चाहे उनका निर्यात प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो अथवा चीन या किसी तीसरे देश के किसी व्यापारी के माध्यम से; व्यापारी की पुनर्विक्रय कीमतों का उपयोग केवल उत्पादक की वस्तुओं के सीआईएफ को मापने हेतु किया गया है। असहयोगी अथवा असूचीबद्ध उत्पादकों की वस्तुओं पर, किसी भी निर्यातक के माध्यम से, अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।

छ.8. असहयोगी उत्पादक तथा अस्वीकृत उत्तर (अवशिष्ट)

72. असहयोगी उत्पादकों (झेजियांग जियाहुआ एनर्जी केमिकल इंडस्ट्री कं., लि. सहित), जिन उत्पादक समूहों के उत्तर अस्वीकार किए गए हैं तथा अन्य सभी उत्पादकों के लिए, सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सहयोगी समूहों (अस्वीकृत समूहों को छोड़कर) में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पाई गई उच्चतम दर के योग के रूप में निर्धारित किया गया है: बिजली 70-80% (तियानचेन), कोयला 1-5% (हाइफेंग), भूमि 0-1% (यिहुआ), ऋण 5-10% (बोहुआ), बिल भुनाई 0-1% (एर्डोस), निर्यात विक्रेता ऋण 1-5% (जुनझेंग), अनुदान 0-1% (बोहुआ), वैट वापसी 1-5% (हाइफेंग), एचएनटीई 1-5% (चिपिंग), अनुसंधान एवं विकास 0-1% (हाइफेंग), विशेष उपकरण 0-1% (क्लोर-अल्कली समूह), पश्चिमी क्षेत्र 0-1% (एर्डोस), निर्यात अनुदान 0-1% (बोहुआ), एथिलीन 0-1% (क्लोर-अल्कली समूह) - कुल 90-100%।

कार्यक्रम	उच्चतम सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)	उत्पादक समूह
बिजली	70-80	तियानचेन
कोयला	1-5	हाइफेंग
भूमि	0-1	यिहुआ
ऋण	5-10	बोहुआ
बिल भुनाई	0-1	एर्डोस
निर्यात विक्रेता ऋण	1-5	जुनझेंग
अनुदान	0-1	बोहुआ
वैट वापसी	1-5	हाइफेंग
एचएनटीई	1-5	चिपिंग

कार्यक्रम	उच्चतम सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)	उत्पादक समूह
R&D	0-1	हाइफेंग
विशेष उपकरण	0-1	क्लोर-अल्कली समूह
पश्चिमी क्षेत्र	0-1	एडोस
निर्यात अनुदान	0-1	बोहुआ
एथिलीन	0-1	क्लोर-अल्कली समूह
अवशिष्ट सब्सिडी मार्जिन	**90-100**	

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

73. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 107% की वृद्धि हुई जबकि मांग में 25% की वृद्धि हुई; कि कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा 35% से बढ़कर 51% हो गया; कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की (0-10%) तथा उन्हें न्यूनीकृत किया (बिक्री कीमत में लागत से अधिक गिरावट आई); कि मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई; तथा कि पीओआई में घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि तथा नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ हुआ। उसने अनंतिम तथा पूर्वव्यापी शुल्कों का अनुरोध किया। उसने आगे अनुरोध किया कि संबद्ध आयातों की सीआईएफ कीमत उसकी परिवर्तनीय लागत से कम है; कि चूंकि वह आधार वर्ष में भी लागत से कम पर बिक्री कर रहा था, अतः कीमत ह्रास और न्यूनीकरण को 2021-22, जो अंतिम लाभप्रद वर्ष था, के संदर्भ में देखा जाना चाहिए; कि पीओआई में उसे ब्याज से पूर्व भी हानि हुई; तथा कि पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

74. संदीप ऑर्गेनिक्स ने अनुरोध किया कि यह दर्शाया जाना चाहिए कि क्षति सब्सिडी के प्रभावों के माध्यम से सब्सिडीकृत आयातों के कारण हुई है तथा अन्य कारकों (गैर-सब्सिडीकृत आयात, मांग, उपभोग का स्वरूप, प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी, निर्यात निष्पादन, उत्पादकता) से हुई क्षति का आरोपण उन पर नहीं किया जाना चाहिए। जीओसी ने अनुरोध किया कि अनुप्रवाह उद्योगों ने आपूर्ति और कीमतों के संबंध में चिंता व्यक्त की है।

75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे अनुरोध किया कि:

क) आवेदकों द्वारा आयात मात्राओं को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है तथा वे टैरिफ मद 3904 10 20 के डीजीएफटी आंकड़ों से असंगत हैं;

ख) आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि तथा भारत में मांग-आपूर्ति अंतर का परिणाम है;

ग) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट उसकी बिक्री लागत में गिरावट के अनुरूप है, तथा कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं है;

घ) घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री स्थिर रहे हैं;

ङ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उतार-चढ़ाव रहा है; पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भी 2024-25 में उसका पीबीआईटी और पीबीडीआईटी धनात्मक था, तथा यह दावा कि आयात उसकी परिवर्तनीय लागत से कम पर थे, ऐसे सुधार से असंगत है;

च) डीसीएम श्रीराम लिमिटेड तथा डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टें 2024-25 में क्रमशः आईएनआर 909 करोड़ तथा आईएनआर 49.4 करोड़ का कर-पूर्व लाभ दर्शाती हैं, तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के विनाइल व्यवसाय ने कम ऊर्जा और कार्बन सामग्री कीमतों के

कारण पिछले वर्ष के आईएनआर 29 करोड़ की तुलना में आईएनआर 116 करोड़ का पीबीडीआईटी दर्ज किया;

छ) आवेदन में अन्य देशों से आयातों द्वारा हुई क्षति को पृथक नहीं किया गया है, जो महत्वपूर्ण हैं तथा संबद्ध आयातों के तुलनीय कीमतों पर हैं;

ज) इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड से आयातों पर रियायती सीमा शुल्क लगता है, तथा केवल चीन जन. गण. पर शुल्क लगाने से उन देशों से आयातों में वृद्धि होगी; तथा

झ) पीओआई के पश्चात भारतीय रुपये का लगभग 10% अवमूल्यन हुआ है, प्रति अमरीकी डॉलर लगभग आईएनआर 87 से लगभग आईएनआर 95.70, जिससे घरेलू उद्योग को पहले ही संरक्षण प्राप्त हो गया है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

76. प्राधिकारी ने सब्सिडीकृत आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव, तथा घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

77. हितबद्ध पक्षकारों के जिन अनुरोधों का नीचे विशेष रूप से उत्तर नहीं दिया गया है, उनका उत्तर इन जांच परिणामों के संगत भागों में दिया गया है।

78. इस अनुरोध के संबंध में कि पीओआई के पश्चात भारतीय रुपये के अवमूल्यन से घरेलू उद्योग को पहले ही संरक्षण प्राप्त हो गया है, क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण पीओआई के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है। किसी भी स्थिति में, पीओआई के पश्चात विनिमय दर में परिवर्तन सभी स्रोतों से आयातों तथा घरेलू उद्योग के आयातित आदानों की लागत, दोनों को प्रभावित करता है, तथा सब्सिडीकृत आयातों के प्रभाव को समाप्त नहीं करता।

I. सब्सिडीकृत आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(i) मांग का आकलन

79. भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	सूचकांकित	100	100	94	98
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	सूचकांकित	100	93	95	99
संबद्ध देश से आयात	मी.ट.	7,95,569	9,40,504	14,21,132	15,23,004
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	13,95,924	17,14,915	15,34,654	14,36,060
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	मी.ट.	34,56,822	38,67,869	41,52,485	42,08,259
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	120	122

80. क्षति अवधि के दौरान मांग में निरंतर वृद्धि हुई, संपूर्ण अवधि में 22% की वृद्धि।

(ii) आयात

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संबद्ध आयात - चीन जन. गण.	मी.ट.	7,95,569	9,40,504	14,21,132	15,23,004
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	179	191
आयात - अन्य देश	मी.ट.	13,95,924	17,14,915	15,34,654	14,36,060
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	110	103

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
कुल आयात	मी.ट.	21,91,493	26,55,419	29,55,786	29,59,064
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	135	135
कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा	%	36	35	48	51
मांग की तुलना में संबद्ध आयात	%	23	24	34	36
घरेलू उद्योग के भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयात	सूचकांकित	100	120	180	195
भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयात	सूचकांकित	100	124	183	196

81. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप से 91% की वृद्धि हुई तथा मांग और घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई। पीओआई में संबद्ध आयातों में से, सहयोगी उत्पादक समूहों के निर्यात की मात्राएं खंड ज.II(ii) में दर्शाई गई हैं; घरेलू उद्योग के द्वितीयक आंकड़े व्यापारियों के माध्यम से लगभग *** मी.ट. का निर्यात दर्शाते हैं। जहां संबद्ध देश से आयातों में निरंतर वृद्धि हुई, वहीं 2023-24 के पश्चात अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई। कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा आधार वर्ष के 36% से बढ़कर पीओआई में 51% हो गया।

82. इस तर्क के संबंध में कि डीजीएफटी आंकड़ों की तुलना में आयात आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाए गए हैं, विचाराधीन उत्पाद का आयात शीर्ष 3904 के अनेक उप-शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है, न कि केवल 3904 10 20 के अंतर्गत। अतः 8-अंकीय स्तर पर डीजीएफटी आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के प्रतिनिधि नहीं हैं।

83. इस तर्क के संबंध में कि आयातों में वृद्धि मांग-आपूर्ति अंतर के कारण है, क्षति अवधि के दौरान मांग में लगभग 22% की वृद्धि हुई, जबकि संबद्ध आयातों में लगभग 91% की वृद्धि हुई, जो मांग में वृद्धि से कहीं अधिक है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा 23% से बढ़कर 36% हो गया; जहां क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरंतर वृद्धि हुई, वहीं 2023-24 के पश्चात तीसरे देशों से आयातों में उल्लेखनीय गिरावट आई। सब्सिडीकृत आयातों का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों में भी दिखाई देता है।

<u>(iii) बाजार हिस्सा</u>

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	सूचकांकित	100	89	78	81
अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा	सूचकांकित	100	84	79	81
संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा	%	23.0	24.3	34.2	36.2
अन्य आयातों का बाजार हिस्सा	%	40.4	44.3	37.0	34.1

84. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग तथा समग्र भारतीय उद्योग के हिस्से में गिरावट आई, जैसी कि 2023-24 के पश्चात अन्य देशों से आयातों के हिस्से में भी आई। मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा आधार वर्ष के 23% से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर पीओआई में 36% हो गया; संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों, दोनों के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

II. सब्सिडीकृत आयातों का कीमत प्रभाव

(i) कीमत कटौती

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत	आईएनआर /मी.ट.	99,225	73,064	70,770	65,592
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	71	66
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	80	81	75
कीमत कटौती	%	-	-	-	0-10%

85. कीमत कटौती के प्रयोजनार्थ, पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है:

विवरण	इकाई	पीओआई
बिक्री कीमत	आईएनआर/मी.ट.	***
पहुंच कीमत	आईएनआर/मी.ट.	65,592
कीमत कटौती	आईएनआर/मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	सीमा	0-10%

86. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, तथा कटौती धनात्मक और महत्वपूर्ण है। यद्यपि पीओआई में घरेलू उद्योग हानि पर बिक्री कर रहा है, तथापि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत उसकी बिक्री कीमत से कम है।

87. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में लगभग 34% की गिरावट आई। पीओआई के दौरान कीमत कटौती धनात्मक थी (0-10% की सीमा में)। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसकी बिक्री लागत में 22% की गिरावट के मुकाबले 25% की गिरावट आई, जो कीमत न्यूनीकरण दर्शाती है। प्रत्येक सहयोगी उत्पादक समूह के पहुंच मूल्य (यूएसडी ***/मी.ट.) यूएसडी ***/मी.ट. की एनआईपी से कम हैं।

(ii) कीमत न्यूनविक्रय / क्षति मार्जिन

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
कीमत न्यूनविक्रय (एनआइपी - पहुंच मूल्य)	यूएसडी/मी. ट.	-	-	-	*** (खंड ज.II(ii))

88. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) अनंतिम रूप से आईएनआर ***/मी.ट. (आईएनआर 86.76/यूएसडी पर यूएसडी ***/मी.ट.) ली गई है, जो घरेलू उद्योग की लागतों के सत्यापन के अधीन है। पहुंच मूल्य भारत को सीआईएफ x 1.0825 है (मूल सीमा शुल्क 7.5% तथा मूल सीमा शुल्क के 10% की दर से समाज कल्याण अधिभार)। जहां किसी उत्पादक ने एफओबी बिक्री की सूचना दी, वहां यूएसडी ***/मी.ट. (इनर मंगोलिया यिहुआ के सीआईएफ प्रेषणों पर वास्तविक भाड़ा और बीमा) जोड़ा गया है; तियानचेन के लिए, सीआईएफ चोंगकिंग चुआनडोंग केमिकल (ग्रुप) कं., लि. के उन निर्यात बीजकों का भारित सीआईएफ है जिन्हें उसने शिनजियांग तियानये फॉरेन ट्रेड कं., लि. से अपनी खरीद से संबद्ध किया है, जो आपूर्ति की गई मात्रा के अनुरूप है (यूएसडी ***/मी.ट.)। उत्पादक समूहों की निर्यात कीमतें (सीआईएफ) प्रस्तुत सूचना के आधार पर ली गई हैं, जो अंतिम चरण पर सत्यापन के अधीन हैं।

उत्पादक समूह	भारत को मात्रा (मी.ट.)	सीआइएफ (यूएसडी /मी.ट.)	पहुंच मूल्य (यूएसडी /मी.ट.)	एनआइपी (यूएसडी /मी.ट.)	क्षति मार्जिन (यूएसडी /मी.ट.)	क्षति मार्जिन (पहुंच मूल्य का %, सीमा)	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)	सब्सिडी मार्जिन (यूएसडी /मी.ट.)	दोनों में से कमतर
चिंगदाओ हाईवान	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	सब्सिडी मार्जिन
तियानजिन बोहुआ	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	क्षति मार्जिन
जुनझेंग समूह	***	***	***	***	***	20-30%	10-20%	***	सब्सिडी मार्जिन
चिपिंग शिनफा समूह	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	क्षति मार्जिन
वानहुआ समूह	***	***	***	***	***	10-20%	30-40%	***	क्षति मार्जिन
एर्डोस	***	***	***	***	***	10-20%	50-60%	***	क्षति मार्जिन
क्लोर-अल्कली समूह	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	सब्सिडी मार्जिन
तियानचेन समूह	***	***	***	***	***	10-20%	70-80%	***	क्षति मार्जिन
यिहुआ	***	***	***	***	***	10-20%	50-60%	***	क्षति मार्जिन
यिबिन तियानयुआन समूह	***	***	***	***	***	10-20%	30-40%	***	क्षति मार्जिन
अवशिष्ट	-	-	-	***	***	20-30%	90-100%	***	क्षति मार्जिन (उच्चतम सहयोगी)

(iii) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
बिक्री लागत	आइएनआर /मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की बिक्री लागत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	83	82	78
बिक्री कीमत	आइएनआर /मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	80	81	75
पहुंच कीमत	आइएनआर /मी.ट.	99,225	73,064	70,770	65,592
पहुंच कीमत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	74	71	66

89. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत में गिरावट आई। तथापि, जहां बिक्री लागत में 22% की गिरावट आई, वहीं बिक्री कीमत में 25% की गिरावट आई, जो संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में 34% की गिरावट के अनुरूप है। घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपनी बिक्री लागत से कम पर बिक्री करता रहा है तथा अपनी कीमतों को अपनी लागत की सीमा तक बढ़ाने में असमर्थ रहा है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को न्यूनीकृत किया है।

90. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि 2023-24 से संबद्ध आयातों की सीआईएफ कीमत उसकी परिवर्तनीय लागत से कम रही है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
सीआइएफ कीमत - चीन जन. गण.	आइएनआर/मी.ट.	91,757	67,226	65,503	60,390

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
परिवर्तनीय लागत	आईएन आर/मी. ट.	***	***	***	***
अंतर	आईएन आर/मी. ट.	***	***	***	***
अंतर	%	***	***	***	***

III. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

91. नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडीकृत आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल हो, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; सब्सिडी मार्जिन की मात्रा; तथा नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। इन मापदंडों की जांच नीचे की गई है।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	102	102
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	99	98
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	98	97
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	94	98

92. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में मामूली वृद्धि हुई, जबकि उसके उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में मामूली गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति तथा वीसीएम की आपूर्ति और प्रेषण की दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पादन को आसानी से रोका अथवा धीमा नहीं किया जा सकता, तथा उसने लाभप्रदता से समझौता करके मात्राएं बनाए रखी हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति मुख्यतः उसके कीमत और लाभप्रदता मापदंडों में प्रतिबिंबित होती है।

(ii) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
बिक्री लागत	सूचकांकित	100	83	82	78
बिक्री कीमत	सूचकांकित	100	80	81	75
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	आईएनआर /मी.ट.	***	***	***	***
प्रति मी.ट. कर-पूर्व लाभ (सूचकांकित)	सूचकांक	-100	-468	-227	-560
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	आईएनआर लाख	***	***	***	***
नकद लाभ/(हानि)	आईएनआर लाख	***	***	***	***
नकद लाभ (सूचकांकित)	सूचकांक	100	-273	-5	-315
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (सूचकांकित)	सूचकांक	100	-67	39	-162

93. यह देखा गया है कि:

क) घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि हुई; प्रति इकाई हानि में लगभग 460% की वृद्धि हुई तथा यह पीओआई में उच्चतम थी;

ख) घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान आईएनआर *** करोड़ से अधिक की संचयी हानि हुई, जो उसकी औसत नियोजित पूंजी के लगभग ***% के बराबर है;

ग) घरेलू उद्योग ने 2022-23 में नकद लाभ अर्जित किया परंतु 2023-24 से उसे नकद हानि हुई, तथा नकद हानि पीओआई में उच्चतम थी; तथा

घ) क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट आई तथा यह पीओआई में ऋणात्मक था।

94. पीओआई में घरेलू उद्योग को ब्याज और कर से पूर्व लाभ के स्तर पर भी हानि हुई, तथा इस प्रकार वह अपनी ब्याज लागत को भी वहन करने में असमर्थ है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
पीबीआइटी	आइएनआर/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-55	28	-105

95. इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता में उतार-चढ़ाव हुआ तथा 2024-25 में सुधार हुआ, घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कर-पूर्व लाभ के स्तर पर हानि हुई। 2024-25 में पीबीआईटी स्तर पर सुधार कायम नहीं रहा, तथा घरेलू उद्योग को पीओआई में सर्वाधिक हानि हुई, यहां तक कि पीबीआईटी और पीबीडीआईटी स्तरों पर भी हानि हुई। समग्र प्रवृत्ति क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्शाती है।

96. आवेदकों की कंपनी-स्तर की वार्षिक रिपोर्टों पर निर्भरता के संबंध में, क्षति विश्लेषण समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है। कंपनी-स्तर के लाभों में अन्य व्यवसायों के परिणाम शामिल हैं, तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के विनाइल खंड में समान वस्तु के अतिरिक्त अन्य उत्पाद शामिल हैं; इनका उपयोग उत्पाद-विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर स्थापित क्षति को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता।

(iii) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
कर्मचारी (सूचकांकित)	सूचकांक	100	101	105	101
मजदूरी	आईएनआर लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	107	135	140
प्रति दिन उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	99	98
प्रति कर्मचारी उत्पादन	मी.ट./संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	95	97

97. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या लगभग स्थिर रही जबकि मजदूरी में वृद्धि हुई; उत्पादन में गिरावट के साथ प्रति दिन उत्पादन में मामूली गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि रोजगार और मजदूरी कंपनी के समग्र परिचालन तथा विधिक अपेक्षाओं पर निर्भर करते हैं। इन मापदंडों पर कोई क्षति नहीं पाई गई है।

(iv) मालसूची

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	77	193	219

98. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई, यद्यपि उसके उत्पादन में मामूली गिरावट आई, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के बावजूद घरेलू बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ रहा है।

(v) वृद्धि और पूंजी जुटाने की क्षमता

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
क्षमता	%	-	2%	0%	0%
उत्पादन	%	-	-2%	1%	-1%
घरेलू बिक्री	%	-	-0.2%	-6%	4%
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	%	-	-367%	54%	-158%
नकद लाभ	%	-	-373%	98%	-5814%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	-167%	158%	-519%

99. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग मोटे तौर पर स्थिर रहा, जबकि उसके बाजार हिस्से में गिरावट आई तथा संबद्ध आयातों ने लगभग 14 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई। घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि हुई, तथा पीओआई में सर्वाधिक हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ रहा।

100. मात्रा मापदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि स्थिर रही, जबकि कीमत मापदंडों - लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ - में वृद्धि 2023-24 में ऋणात्मक, 2024-25 में धनात्मक तथा पीओआई में पुनः उल्लेखनीय रूप से ऋणात्मक रही। चूंकि घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि तथा पीओआई में नकद हानि हुई है, अतः पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

101. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक: संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है, तथा उनकी पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत से कम है, जिसने घरेलू उद्योग को लागत से कम पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकद हानि हुई है। अन्य देशों से आयातों की कीमतें चीन जन. गण. से आयातों की कीमतों से अधिक थीं, तथा क्षति अवधि के दौरान यह अंतर बढ़ा। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(vi) सब्सिडी मार्जिन की मात्रा

102. सहयोगी उत्पादक समूहों के सब्सिडी मार्जिन 10-20% से 70-80% की सीमा में हैं तथा अवशिष्ट मार्जिन 90-100% है, जो सभी न्यूनतम सीमा से अधिक हैं (खंड छ.6)। घरेलू उद्योग पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा के प्रभाव को नगण्य नहीं माना जा सकता।

(vii) क्षति के संबंध में निष्कर्ष

103. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में, मांग में वृद्धि से कहीं अधिक गति से, वृद्धि हुई है;

ख) संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, उस समय भी जब घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है;

ग) घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत में अपनी बिक्री लागत में गिरावट से अधिक कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिससे संबद्ध आयातों ने उसकी कीमतों को न्यूनीकृत किया है;

घ) घरेलू उद्योग तथा समग्र भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है;

ङ) घरेलू उद्योग की मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई है, तथा उसने केवल लाभप्रदता से समझौता करके अपने मात्रा मापदंड बनाए रखे हैं;

च) घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि हुई है, जो पीओआई में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, साथ ही पीओआई में नकद हानि तथा पीबीआईटी स्तर पर हानि हुई; तथा

छ) घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ऋणात्मक हो गया है, तथा पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

IV. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण

104. प्राधिकारी के लिए सब्सिडीकृत आयातों के अतिरिक्त किसी भी ऐसे ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि उन कारकों द्वारा हुई क्षति का आरोपण सब्सिडीकृत आयातों पर न किया जाए। इनमें सब्सिडीकृत कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, तथा घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं।

क. अन्य देशों से आयात

105. पीओआई तक 2023-24 से गैर-संबद्ध आयातों में गिरावट आई तथा उनकी सीआईएफ कीमत (पीओआई में आईएनआर 67,218/मी.ट.) संबद्ध आयातों की कीमत (आईएनआर 60,593/मी.ट.) से अधिक थी। जापान, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, अमरीका और थाईलैंड से आयात पृथक-पृथक रूप से न्यूनतम सीमा से अधिक थे। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमतें चीन जन. गण. की पहुंच कीमत से संचालित होती हैं; चूंकि संबद्ध वस्तुएं एक जिंस उत्पाद हैं, अतः भारत के उत्पादकों तथा अन्य देशों के निर्यातकों को चीन जन. गण. की कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें घटाने हेतु बाध्य होना पड़ा है। विभिन्न स्रोतों से आयात कीमतें निम्नानुसार हैं:

देश	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
चीन जन. गण.	आईएनआर/मी.ट.	91,663	67,496	65,376	60,593

देश	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
जापान	आईएनआर/मी. ट.	98,871	73,852	73,201	69,615
ताइवान	आईएनआर/मी. ट.	89,326	69,443	71,483	67,004
अमरीका	आईएनआर/मी. ट.	70,594	66,164	67,136	65,725
कोरिया गणराज्य	आईएनआर/मी. ट.	87,980	68,465	69,315	66,614
थाईलैंड	आईएनआर/मी. ट.	88,334	71,694	70,753	64,502
इंडोनेशिया	आईएनआर/मी. ट.	89,334	68,964	68,143	64,348
अन्य देश	आईएनआर/मी. ट.	76,995	69,036	69,991	66,949
कुल आयात	आईएनआर/मी. ट.	89,290	69,122	68,078	63,808
चीन जन. गण. के अतिरिक्त अन्य देश	आईएनआर/मी. ट.	87,938	70,014	70,579	67,218
अंतर: चीन जन. गण. घटा अन्य	आईएनआर/मी. ट.	3,725	-2,518	-5,203	-6,625

106. क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयात कीमत में निरंतर गिरावट आई। जहां 2022-23 में यह अन्य देशों से आयातों की कीमत से अधिक थी, वहीं उसके पश्चात यह उनसे कम रही है, तथा अंतर बढ़ा है; पीओआई में संबद्ध आयात सबसे कम कीमत वाले आयात थे। उनकी कीमत में गिरावट के साथ, संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई। चूंकि संबद्ध वस्तुएं एक जिंस उत्पाद हैं, अतः घरेलू उद्योग देश में सबसे कम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करता है।

ख. मांग में संकुचन

107. मांग में 22% की वृद्धि हुई; कोई संकुचन नहीं हुआ। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अनंतिम रूप से मांग में संकुचन के कारण न होना माना गया है।

ग. उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन

108. कोई सूचित नहीं। विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएं / प्रतिस्पर्धा

109. कोई सूचित नहीं। 02.04.2026-30.06.2026 की मूल सीमा शुल्क छूट पीओआई से बाहर है। ऐसी कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

110. कोई सूचित नहीं; एथिलीन और कार्बाइड, दोनों मार्ग लंबे समय से स्थापित हैं। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च. निर्यात निष्पादन

111. घरेलू उद्योग के निर्यात नगण्य थे। जांची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है; क्षति का आरोपण उसके निर्यात निष्पादन पर नहीं किया जा सकता।

छ. उत्पादन

112. उत्पादन के साथ प्रति दिन उत्पादन में मामूली गिरावट आई। प्रति दिन उत्पादन में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ज. आदान लागत / घरेलू उद्योग का स्वयं का निष्पादन

113. बिक्री लागत में 22% की गिरावट आई जबकि बिक्री कीमत में 25% की गिरावट आई; बिक्री कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट से अधिक थी, तथा घरेलू उद्योग की हानि का आरोपण आयातित वीसीएम सहित कच्ची सामग्री की लागत पर नहीं किया जा सकता।

झ. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध उत्पादकों से खरीद

114. पीओआई के दौरान एर्डोस ने आवेदकों में से एक को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की। आधार और क्षति पर इसके प्रभाव की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

ञ. अन्य घरेलू उत्पादक

115. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (भारतीय उत्पादन का 60-70%) भी संबद्ध वस्तुओं का आयात करते हैं; उनका निष्पादन घरेलू उद्योग के क्षति विश्लेषण का भाग नहीं है।

ट. विद्यमान पाटनरोधी शुल्क

116. कोई प्रवृत्त नहीं - दिनांक 14.08.2025 के पाटनरोधी अंतिम जांच परिणामों को प्रभावी नहीं किया गया; आरोपित करने हेतु कोई प्रभाव नहीं।

ठ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

117. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों की जांच की है। अतः आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

V. कारणात्मक संबंध के संबंध में निष्कर्ष

118. जहां ऊपर जांचे गए कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति अन्य ज्ञात कारकों के कारण नहीं है, वहीं निम्नलिखित दर्शाते हैं कि यह संबद्ध देश से सब्सिडीकृत आयातों के कारण है:

क) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से, भारत में मांग में वृद्धि से अधिक गति से, वृद्धि हुई;

ख) जहां घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत से कम पर बिक्री करता रहा है, वहीं संबद्ध आयात उसकी कीमतों में निरंतर कटौती करते रहे हैं;

ग) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में अपनी बिक्री लागत में गिरावट से अधिक कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा;

घ) घरेलू उद्योग ने केवल लाभप्रदता से समझौता करके अपना उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग बनाए रखा, तथा हानि पर बिक्री के बावजूद उसकी मालसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई;

ङ) घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि हुई, जो पीओआई में उच्चतम थी; उसकी संचयी हानि उसकी औसत नियोजित पूंजी की तुलना में महत्वपूर्ण है, तथा पीओआई में उसे नकद हानि हुई; तथा

च) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ऋणात्मक हो गया तथा पीओआई में न्यूनतम था, और घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

119. वर्तमान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, कि सब्सिडीकृत आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है, तथा जांचे गए अन्य ज्ञात कारक इस कारणात्मक संबंध को भंग नहीं करते। यह निष्कर्ष घरेलू उद्योग के आंकड़ों के सत्यापन के अधीन है।

झ. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क) घरेलू उद्योग को लंबी अवधि से आयातों से संरक्षण प्राप्त रहा है। व्यापार उपचार अस्थायी उपाय हैं, तथा चौदह वर्षों के पाटनरोधी शुल्क के पश्चात प्रति-सब्सिडी शुल्क स्थायी संरक्षण का परिणाम होगा।

ख) भारत में मांग-आपूर्ति का उल्लेखनीय अंतर है, तथा उसे पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।

ग) इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड से आयातों को मुक्त व्यापार करारों के अंतर्गत रियायती सीमा शुल्क प्राप्त है; केवल चीन जन. गण. से आयातों पर शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाए बिना आयात केवल अन्य देशों की ओर मुड़ जाएंगे।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

क) अतीत में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; इसका प्रभाव 0.1% से कम है तथा, न्यूनतम होने के कारण, इसके अनुप्रवाह उद्योग द्वारा वहन किए जाने तथा प्रयोक्ताओं पर अंतरित न किए जाने की संभावना है।

ख) भारत में पर्याप्त परस्पर प्रतिस्पर्धा होने के कारण उचित कीमतें बनी रहेंगी; शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता, तथा चूंकि संबद्ध वस्तुएं दीर्घकालिक अनुबंधों के अंतर्गत नहीं बेची जातीं, अतः प्रयोक्ता आसानी से आपूर्तिकर्ता बदल सकते हैं।

ग) उत्पाद की वैश्विक अतिरिक्त क्षमताएं तथा प्रचुर आपूर्ति है, तथा संबद्ध वस्तुओं का भारत को सब्सिडीकृत कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य, सामान्यतः, सब्सिडीकृत आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो, जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता; उपभोक्ताओं और प्रयोक्ताओं को संबद्ध देश तथा अन्य स्रोतों से उचित कीमतों पर उत्पाद की उपलब्धता बनी रहेगी।

121. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में, इसका अस्तित्व ऐसी कीमतों पर सब्सिडीकृत आयातों की अनुमति देने का आधार नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होती है। उत्पाद के महत्वपूर्ण आयात गैर-चीनी स्रोतों से होते हैं: 2020-21 में 95% आयात अन्य स्रोतों से थे, तथा 2022-23 में 64%। प्राधिकारी ने अतीत में ऐसे अनेक उत्पादों पर शुल्कों की सिफारिश की है जहां भारत में मांग-आपूर्ति अंतर था। शुल्क का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि समान अवसर पुनः स्थापित करना है, जिससे क्षमता विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है; घरेलू उद्योग की बढ़ती हानि के साथ, वर्तमान बाजार में कोई भी उद्योग क्षमता विस्तार में निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा।

122. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पहले ही लंबे समय तक संरक्षण प्राप्त रहा है, चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क 2022 में समाप्त हो गया था, तथा पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर कोई उपाय प्रवृत्त नहीं था। वर्तमान जांच एक भिन्न अनुचित व्यापार प्रथा, अर्थात सब्सिडीकरण, से संबंधित है, तथा शुल्क, यदि अधिरोपित किया जाता है, सीमित अवधि के लिए होगा तथा समीक्षा के अधीन होगा। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है तथा लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में वास्तविक गिरावट आई है।

123. अन्य देशों की ओर आयातों के संभावित विपथन के संबंध में, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों पर सब्सिडी का प्रतिसंतुलन करना है, न कि आयातों को प्रतिबंधित करना। अन्य देशों से आयात संबद्ध आयातों से अधिक कीमतों पर किए जाते हैं, तथा उचित कीमत वाले स्रोतों की ओर बदलाव से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। प्रयोक्ताओं को संबद्ध देश सहित अनेक स्रोतों से उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहेगी।

124. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि नई क्षमता जुड़ने के साथ भारत में मांग-आपूर्ति अंतर कम होने की संभावना है। चूंकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, अतः बाजार की स्थिति ऐसे निवेश के अनुकूल नहीं है, तथा भारत में उचित बाजार स्थिति स्थापित करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अधिरोपण आवश्यक है।

125. अनुप्रवाह आपूर्ति और कीमतों पर जीओसी के सामान्य अनुरोध के अतिरिक्त, किसी भी प्रयोक्ता अथवा उपभोक्ता ने शुल्क के संभावित प्रभाव का परिमाणन करने वाली सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी है। हितबद्ध पक्षकार अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं पर शुल्क के संभावित प्रभाव सहित सार्वजनिक हित पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनकी प्राधिकारी अंतिम चरण में जांच करेंगे।

<u>ञ. निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

126. प्राधिकारी इस चरण पर उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा अंतिम चरण पर सत्यापन के अधीन, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि (क) विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश से भारत को सब्सिडीकृत कीमतों पर निर्यात किया गया है; (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; तथा (ग) वास्तविक क्षति सब्सिडीकृत आयातों के कारण हुई है।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. की सरकार के साथ परामर्श के पश्चात जांच विधिवत शुरू की गई, तथा चीन जन. गण. की सरकार, उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई तथा उन्हें सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। सीवीडी नियमावली के अनुसार सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने, तथा उसके नियम 14 के अनुसार वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम अभिलिखित करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूर्ण होने तक सब्सिडीकरण तथा उसके कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रतिसंतुलन करने के लिए अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है। अतः, प्राधिकारी आवश्यक समझते हैं तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के

आयातों पर अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित सीवीडी नियमावली के नियम 15 के अनुसार अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हैं।

128. उपर्युक्त अनंतिम जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच के दौरान क्षति को रोकने के लिए अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। कमतर शुल्क नियम लागू करते हुए, अनुशंसित अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क प्रत्येक उत्पादक समूह के लिए सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर है। किसी भी समूह का सब्सिडी मार्जिन 1% यथामूल्य की न्यूनतम सीमा से कम नहीं है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल में अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर, क्रमशः कॉलम (9) और (8) में दर्शाई गई मुद्रा और माप की प्रति इकाई में, ऐसी अवधि के लिए अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हैं जो केंद्र सरकार अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्धारित करे।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उप-शीर्ष *	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904	पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन**	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.	86.75	मी.ट.	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.	90.73	मी.ट.	यूएसडी
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	99.06	मी.ट.	यूएसडी
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	चिपिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि.; चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.	106.46	मी.ट.	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि.; वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.	99.95	मी.ट.	यूएसडी
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि. क्लोर-अल्कली केमिकल ब्रांच कंपनी	135.55	मी.ट.	यूएसडी
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.	90.55	मी.ट.	यूएसडी
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	तियानचेन केमिकल कं., लि.	89.81	मी.ट.	यूएसडी
9	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	136.25	मी.ट.	यूएसडी
10	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.	83.72	मी.ट.	यूएसडी
11	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	कोई भी	क्र.सं. 1 से 10 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	143.82	मी.ट.	यूएसडी
12	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	143.82	मी.ट.	यूएसडी

* सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

** जैसा कि खंड ग में वर्णित है।

उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित उत्पादकों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के, नाम और पदनाम द्वारा पहचाने गए, किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नानुसार अंकित होगी:

> *"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेची गई पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जन. गण. में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।"*

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

129. आवेदकों ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के पूर्वव्यापी अधिरोपण का भी अनुरोध किया है। प्राधिकारी अंतिम चरण में इस अनुरोध की जांच करेंगे।

ट. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के पश्चात नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

- क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से बीस दिनों के भीतर इन पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं, तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी गई सीमा तक उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।
- ख) प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को विषयगत जांच से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे।
- ग) मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।
- घ) प्राधिकारी आवश्यक समझे जाने पर हितबद्ध पक्षकारों का आगे सत्यापन करेंगे।
- ङ) प्राधिकारी विषयगत जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व नियमावली के अनुसार आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 26-10-2026
15:22:01

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी